[राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में]

2021 का विधेयक संख्यांक 43

मध्यकता विधेयक, 2021

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

अध्याय 2

लागू होना

2. लागू होना ।
3. परिभाषाएं ।

अध्याय 3

मध्यकता

4. मध्यकता ।
5. मध्यकता करार ।
6. मुकदमा-पूर्व मध्यकता ।
7. मामले, जो मध्यकता के लिए उपयुक्त न हों ।
8. न्यायालय या अधिकरण द्वारा अंतरिम अनुतोष ।
9. न्यायालय या अधिकरण की पक्षकारों को मध्यकता के लिए निर्दिष्ट करने की शक्ति ।

अध्याय 4

मध्यक

10. मध्यकों की नियुक्ति ।
11. अधिमान ।
12. हित का विरोध और प्रकटीकरण ।
13. मध्यक के आदेश का पर्यवसान।
14. मध्यक का बदला जाना।

अध्याय 5

मध्यकता प्रक्रिया

15. मध्यकता के लिए क्षेत्रीय अधिकार ।
16. मध्यकता का प्रारंभ ।
17. मध्यकता का संचालन ।
18. मध्यक की भूमिका ।
19. अन्य कार्रवाई में मध्यक की भूमिका ।
20. मध्यकता से पक्षकारों की वापसी ।
21. मध्यकता को पूरा करने के लिए समय-सीमा ।
22. मध्यकता समझौता करार ।

खंड

23. गोपनीयता ।

24. प्रकटन के विरुद्ध ग्राह्यता, विशेषाधिकार।

25. मध्यकता का समापन ।

26. न्यायालय उपाबद्ध मध्यकता ।

27. लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत द्वारा मध्यकता ।

अध्याय 6

मध्यकता निपटारा करार की प्रास्थिति

28. मध्यकता निपटारा करार का प्रवर्तन ।

29. मध्यकता निपटारा करार पर आक्षेप ।

30. लागत ।

31. परिसीमा ।

अध्याय 7

आनलाइन मध्यकता

32. आनलाइन मध्यकता ।

अध्याय 8

भारतीय मध्यकता परिषद्

33. मध्यकता परिषद् का स्थापन और निगमन ।

34. परिषद् की संरचना ।

35. रिक्तियों, आदि, से परिषद् की कार्यवाहियों का अविधिमान्य नहीं होना ।

36. पदत्याग ।

37. अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाना ।

38. विशेषज्ञों की नियुक्ति और उनकी समितियों का गठन ।

39. परिषद् का सचिवालय और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।

40. परिषद् के कर्तव्य और कृत्य ।

अध्याय 9

मध्यकता सेवा प्रदाता और मध्यकता संस्थान

41. मध्यकता सेवा प्रदाता ।

42. मध्यकता सेवा प्रदाताओं के कृत्य ।

43. मध्यकता संस्थान ।

अध्याय 10

सामुदायिक मध्यकता

44. सामुदायिक मध्यकता ।

45. सामुदायिक मध्यकता की प्रक्रिया ।

अध्याय 11

प्रकीर्ण

46. मध्यकता निधि ।

47. लेखे और संपरीक्षा ।

खंड

48. केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।
49. सरकारों की स्कीमें या दिशानिर्देश विरचित करने की शक्ति ।
50. मध्यकता समझौता करार, जहां सरकार या उसका कोई अस्तित्व, अभिकरण, आदि एक पक्षकार है ।
51. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
52. नियम बनाने की शक्ति ।
53. विनियम बनाने की शक्ति ।
54. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।
55. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
56. अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों में अंतर्विष्ट मध्यकता या सुलह पर अध्यारोही प्रभाव होना ।
57. अधिनियम का लंबित कार्यवाहियों को लागू न होना ।
58. 1872 के अधिनियम संख्यांक 9 का संशोधन ।
59. 1908 के अधिनियम संख्यांक 5 का संशोधन ।
60. 1987 के अधिनियम संख्यांक 39 का संशोधन ।
61. 1996 के अधिनियम संख्यांक 26 का संशोधन ।
62. 2006 के अधिनियम संख्यांक 27 का संशोधन ।
63. 2013 के अधिनियम संख्यांक 18 का संशोधन ।
64. 2016 के अधिनियम संख्यांक 4 का संशोधन ।
65. 2019 के अधिनियम संख्यांक 35 का संशोधन ।

पहली अनुसूची ।
दूसरी अनुसूची ।
तीसरी अनुसूची ।
चौथी अनुसूची ।
पांचवीं अनुसूची
छठी अनुसूची ।
सातवीं अनुसूची ।
आठवीं अनुसूची ।
नवीं अनुसूची ।
दसवीं अनुसूची ।

[राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में]

2021 का विधेयक संख्यांक 43

[दि मीडिएशन बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

मध्यकता विधेयक, 2021

वाणिज्यिक या उससे भिन्न विवादों के समाधान के लिए, विशिष्टतया संस्थागत मध्यकता का उन्नयन करने, प्रोत्साहन देने और सुकर बनाने, मध्यकता किए गए समझौता करारों को प्रवृत्त करने, मध्यस्थों के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक निकाय का उपबंध करने, समुदाय मध्यकता को प्रोत्साहित करने और किसी प्रतिग्राह्य तथा लागत की प्रभावी प्रक्रिया के रूप में आनलाइन मध्यकता करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

5 **1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यकता अधिनियम, 2021 है । संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत

करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवर्तन में आने के लिए निर्देश है ।

अध्याय 2

लागू होना

लागू होना ।

2. (1) उपधारा (2) के अध्यधीन रहते हुए, यह अधिनियम वहां लागू होगा, जहां मध्यकता भारत में संचालित की जाती है, और—

(i) सभी या दोनों पक्षकार भारत में साधारणतया निवास करते हैं या निगमित हैं या कारबार के स्थान हैं ; या

(ii) मध्यकता करार यह उपबंध करता है कि किसी विवाद का समाधान इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ; या

(iii) जहां कोई अंतरराष्ट्रीय मध्यकता है ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे, जहां विवाद का कोई एक पक्षकार केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार या अभिकरण, लोक निकाय, निगम और स्थानीय निकाय हैं जिसमें ऐसी सरकार के नियंत्रणाधीन या स्वामित्वाधीन कोई इकाई सम्मिलित है सिवाय जहां विषय किसी वाणिज्यिक विवाद से संबंधित हो :

परंतु कोई बात केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को यह अधिसूचित करने से निवारित नहीं करेगा कि इस प्रकार के विवाद, इस अधिनियम के अधीन मध्यकता के माध्यम से समाधान करने के लिए ऐसी सरकार के लिए समुचित प्रतीत होते हैं, जहां ऐसी सरकार या अभिकरण, लोक निकाय, निगम और स्थानीय निकाय जिसमें उसके द्वारा नियंत्रणाधीन या स्वामित्वाधीन कोई इकाई भी सम्मिलित, एक पक्षकार है ।

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "वाणिज्यिक विवाद" से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथा परिभाषित कोई विवाद अभिप्रेत है ; 2016 का 4

(ख) "परिषद्" से धारा 33 के अधीन स्थापित भारत का मध्यकता परिषद् अभिप्रेत है ;

(ग) "न्यायालय" से किसी जिले में आरंभिक अधिकारिता रखने वाला प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत मध्यकता की विषय-वस्तु को विरचित करने वाले विवादों के विनिश्चय के लिए अधिकारिता रखने वाले अपने साधारण आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय सम्मिलित है, यदि किसी वाद या कार्यवाही की विषय-वस्तु एक समान हो ;

स्पष्टीकरण—वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (i) में यथापरिभाषित विनिर्दिष्ट मूल्य के किसी विवाद में सक्षम अधिकारिता का न्यायालय, उक्त अधिनियम के अध्याय 2 में निर्दिष्ट वाणिज्यिक न्यायालय होगा ; 2016 का 4

(घ) "न्यायालय उपाबद्ध मध्यकता" से ऐसी मध्यकता अभिप्रेत है,

जिसके अंतर्गत किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा स्थापित मध्यकता केंद्रों पर संचालित मुकदमा पूर्व मध्यकता सम्मिलित है ;

(ङ) "संस्थागत मध्यकता" से किसी मध्यकता सेवा प्रदाता के संरक्षण के अधीन संचालित मध्यकता अभिप्रेत है ;

(च) "अंतरराष्ट्रीय मध्यकता" से इस अधिनियम के अधीन की गई कोई मध्यकता अभिप्रेत है और भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संविदात्मक या अन्य किसी विधिक संबंध से उद्भूत किसी वाणिज्यिक विवाद से संबंध रखता है और जहां कम से कम एक पक्षकार,—

(i) ऐसा व्यष्टिक है, जो भारत से भिन्न किसी देश का राष्ट्रिक है या साधारणतया निवास करता है ; या

(ii) एक निगमित निकाय है, जिसके अंतर्गत भारत के बाहर कारबार के उसके स्थान के साथ किसी प्रकृति की सीमित दायित्व भागीदारी है ; या

(iii) कोई संगम या व्यष्टियों का निकाय है, जिसका कारबार का स्थान भारत के बाहर है ; या

(iv) विदेश की कोई सरकार ;

(छ) "मध्यकता" से धारा 4 में निर्दिष्ट मध्यकता अभिप्रेत है ;

(ज) "मध्यस्थ" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो मध्यकता करने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है, जो परिषद् के साथ मध्यस्थ के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;

स्पष्टीकरण—जहां किसी मध्यकता के लिए एक से अधिक मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं, तो इस अधिनियम के अधीन किसी मध्यस्थ के लिए निर्देश को सभी मध्यस्थों के प्रति निर्देश समझा जाएगा ;

(झ) "मध्यकता करार" से धारा 5 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई मध्यकता करार अभिप्रेत है ;

(ञ) "मध्यकता संसूचना" से ऐसी संसूचना अभिप्रेत है, जो इलेक्ट्रानिक रूप से या उससे भिन्न रूप में दी गई जो—

(i) कोई चीज कही गई है या की गई है ;

(ii) कोई दस्तावेज ; या

(iii) उपलब्ध कराई गई किसी सूचना के माध्यम से,

मध्यकता के अनुक्रम में या प्रयोजन के लिए या उससे संबंधित हैं और इसके अंतर्गत कोई मध्यकता करार या कोई मध्यकता समझौता करार सम्मिलित है ;

(ट) "मध्यकता संस्थान" से कोई निकाय या संगठन अभिप्रेत है, जो प्रशिक्षण, सतत शिक्षा और मध्यकता का प्रमाणन का उपबंध करता है और इस अधिनियम के अधीन अन्य ऐसे कार्यों को कार्यान्वित करता है ;

(ठ) "मध्यकता सेवा प्रदाता" से कोई निकाय या संगठन अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के

संचालन का उपबंध करता है तथा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त है ;

स्पष्टीकरण 1—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, मध्यकता सेवा प्रदाता के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित कोई प्राधिकरण या किसी न्यायालय अधिकरण या ऐसे अन्य फोरम, से उपाबद्ध मध्यकता केंद्र, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, सम्मिलित हैं ; 1987 का 39

स्पष्टीकरण 2—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित कोई प्राधिकरण या किसी न्यायालय या अधिकरण से उपाबद्ध मध्यकता केंद्र परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त मध्यकता सेवा प्रदाता समझा जाएगा ; 1987 का 39

(ड) "मध्यकता समझौता करार" से धारा 22 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समझौता करार अभिप्रेत है ;

(ढ) "अधिसूचना" से ऐसी अधिसूचना अभिप्रेत है, जो राजपत्र में प्रकाशित की गई है और इसके सजातीय अर्थ तथा व्याकरणिक रूपभेद के साथ "अधिसूचित" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ण) "आनलाइन मध्यकता" से धारा 32 में निर्दिष्ट आनलाइन मध्यकता अभिप्रेत है ;

(त) "सहभागी" से पक्षकारों से भिन्न ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो मध्यकता में भाग लेते हैं और इसके अंतर्गत सलाहकार, वकील, परामर्शी और तकनीकी विशेषज्ञ और प्रेक्षक भी सम्मिलित हैं ;

(थ) "पक्षकार" से मध्यकता करार या मध्यकता कार्रवाई का कोई पक्षकार अभिप्रेत है, जिसका विवाद के समाधान के लिए करार या सहमति आवश्यक है और इसके अंतर्गत उसके उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं ;

(द) "मुकदमा-पूर्व मध्यकता" से मध्यकता करने की ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन किसी न्यायालय या अधिसूचित अधिकरण के समक्ष उसके संबंध में सिविल या वाणिज्यिक प्रकृति का कोई वाद या कार्यवाही फाइल करने के पूर्व विवादों के निपटारे के लिए धारा 6 के अधीन यथा उपबंधित है ;

(ध) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(न) "अनुसूची" से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(प) आनलाइन मध्यकता के संदर्भ में "सुरक्षित इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 15 में निर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर अभिप्रेत है ; 2000 का 21

(फ) "विनिर्दिष्ट" से इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है ।

अध्याय 3

मध्यकता

मध्यकता ।

4. मध्यकता एक ऐसी प्रक्रिया होगी जो मध्यकता, मुकदमा-पूर्व मध्यकता, आनलाइन मध्यकता, समुदाय मध्यकता, सुलह या समान महत्व का कोई पद अभिप्रेत

हैं, जिसके द्वारा पक्षकार मध्यस्थ के रूप में निर्दिष्ट किसी तीसरे व्यक्ति या मध्यकता सेवा प्रदाता से विवाद के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए उनके प्रयासों में सहायता करने के लिए अनुरोध करते हैं ।

मध्यकता करार ।

5. (1) कोई मध्यकता करार, पक्षकारों द्वारा या उनके बीच लिखित में किया जाएगा और उनके माध्यम से किसी के द्वारा दावा किए गए सभी या किन्हीं विवादों को मध्यकता के लिए प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों के बीच उद्भूत हुआ है या उद्भूत हो सकेगा ।

(2) कोई मध्यकता करार, किसी संविदा में या किसी पृथक् करार के रूप में किसी मध्यकता खंड के रूप में हो सकेगा ।

(3) मध्यकता करार लिखित में होगा, यदि यह निम्नलिखित को अंतर्विष्ट करता है या अभिलिखित करता है :—

(क) पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित कोई दस्तावेज ;

2000 का 21

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन यथा उपबंधित इलेक्ट्रानिक प्ररूप के माध्यम से संसूचना या पत्रों का विनिमय ;

(ग) किसी वाद में कोई अभिवचन या कोई अन्य कार्यवाही, जिसमें किसी विद्यमान मध्यकता करार का किसी पक्षकार द्वारा अभिकथित किया जाता है और अन्य के द्वारा इंकार नहीं किया जाता है ।

(4) किसी मध्यकता खंड में अंतर्विष्ट किसी करार में निर्देश, एक मध्यकता करार गठित करेगा, यदि करार लिखित में है और यह निर्देश करार के भाग के रूप में मध्यकता खंड को बनाने के लिए है ।

(5) पक्षकार, किसी करार के अधीन उनके बीच पैदा हुए किसी विवाद को मध्यकता को प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो सकेंगे, चाहे विवाद के उद्भूत होने के पूर्व या उसके तत्पश्चात् किया गया है ।

(6) अंतरराष्ट्रीय मध्यकता की दशा में, कोई मध्यकता करार, धारा 3 के खंड (क) में निर्दिष्ट वाणिज्यिक विवादों के विषयों में समाधान के लिए किसी करार के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा ।

मुकदमा-पूर्व मध्यकता ।

6. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कोई मध्यकता करार विद्यमान है या नहीं, कोई पक्षकार किसी न्यायालय में सिविल या वाणिज्यिक प्रकृति के वाद या कार्यवाही फाइल करने के पूर्व इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मुकदमा-पूर्व मध्यकता द्वारा विवादों के निपटारे के लिए कदम उठाएगा :

परंतु विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के मामलों में मुकदमा-पूर्व मध्यकता, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12क के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी ।

2016 का 4

(2) उपधारा (1) का उपबंध, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकरणों पर लागू होगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि पक्षकारों के बीच करार न हो जाए, मध्यस्थ को,—

(i) परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत करना ;

(ii) मध्यकता केंद्र से उपाबद्ध कोई न्यायालय द्वारा पैनलित करना ;

(iii) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित किसी प्राधिकरण द्वारा पैनलित करना ; और 1987 का 39

(iv) इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त किसी मध्यकता सेवा प्रदाता द्वारा पैनलित करना,

जो मुकदमा-पूर्व मध्यकता संचालित करेंगे ।

(4) उपधारा (3) के खंड (ii) और (iii) के अधीन मुकदमा-पूर्व मध्यकता के संचालन के लिए कोई पक्षकार, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित किसी प्राधिकरण द्वारा, इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किसी व्यक्ति के लिए अनुरोध कर सकेगा । 1987 का 39

(5) न्यायालय और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित कोई प्राधिकरण मुकदमा-पूर्व मध्यकता के प्रयोजनों के लिए मध्यस्थों का एक पैनल बनाएगा । 1987 का 39

(6) उपधारा (1) और उपधारा (2) तथा मोटर यान अधिनियम, 1988 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी दुर्घटना के उद्भूत होने पर प्रतिकर के लिए कोई आवेदन दावा अधिकरण के समक्ष किया जाता है, यदि उस अधिनियम की धारा 149 में यथा उपबंधित समझौता पक्षकारों के बीच नहीं हो पाता है, तब दावा अधिकरण इस अधिनियम के अधीन किसी मध्यस्थ या मध्यकता सेवा प्रदाता को मध्यकता के लिए पक्षकारों को निर्दिष्ट करेगा । 1988 का 59

(7) जहां पक्षकार उपधारा (6) के अधीन किसी समझौता करार पर पहुंचते हैं तो इसे दावा अधिकरण के समक्ष उसके विचार के लिए रखा जाएगा ।

(8) यदि उपधारा (6) के अधीन पक्षकार समझौता करार नहीं कर पाते हैं, तो मध्यस्थ द्वारा तैयार की गई असफलता की रिपोर्ट, दावा अधिकरण को भेजी जाएगी, जो न्यायनिर्णयन हेतु मध्यकता के लिए विषय को निर्दिष्ट किया गया है ।

मामले, जो मध्यकता के लिए उपयुक्त न हों ।

7. (1) इस अधिनियम के अधीन कोई मध्यकता, पहली अनुसूची के अधीन इंगित सूची में अंतर्विष्ट किसी विवाद या विषय के समाधान के लिए संचालित नहीं की जाएगी :

परंतु इसमें अंतर्विष्ट कोई बात, किसी न्यायालय को निवारित नहीं करेगी, यदि पक्षकारों के बीच सिविल कार्रवाई से संबंधित या उससे उद्भूत शमनीय अपराधों या वैवाहिक अपराधों से संबंधित मध्यकता के किसी विवाद को समुचित समझता है :

परंतु यह और कि ऐसे मध्यकता के परिणाम को धारा 28 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट न्यायालय की कोई निर्णय या डिक्री नहीं समझा जाएगा और तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार न्यायालय द्वारा आगे विचार किया जाएगा ।

(2) यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है तो अधिसूचना द्वारा, पहली अनुसूची को संशोधित कर सकेगी ।

न्यायालय या अधिकरण द्वारा अंतरिम अनुतोष ।

8. (1) यदि आपवादिक परिस्थितियां विद्यमान हों, तो कोई पक्षकार इस अधिनियम के अधीन मध्यकता कार्यवाहियां प्रारंभ होने से पूर्व या उनके जारी रहने के दौरान शीघ्र अंतरिम अनुतोष की ईप्सा करने के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय या अधिकरण के समक्ष वाद या समुचित कार्यवाही को फाइल कर

सकेगा ।

(2) न्यायालय या अधिकरण, यथास्थिति, शीघ्र अंतरिम अनुतोष अनुदत्त या अस्वीकार करने के पश्चात् पक्षकारों को विवाद का समाधान करने के लिए मध्यकता करने के लिए निर्दिष्ट करेगा, यदि वह उचित समझे ।

न्यायालय या अधिकरण की पक्षकारों को मध्यकता के लिए निर्दिष्ट करने की शक्ति ।

9. (1) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन किसी समझौते पर पहुंचने में असफलता के होते हुए भी न्यायालय या अधिकरण प्रक्रिया के किसी प्रक्रम पर मध्यकता करने के लिए पक्षकारों को भेज सकेगा, यदि इस प्रकार का अनुरोध उनके द्वारा किया जाए ।

(2) यदि न्यायालय या अधिकरण पक्षकारों को मध्यकता के लिए यह निर्दिष्ट करता है कि वह किसी पक्षकार के हित को संरक्षित करने के लिए, यदि वह समुचित समझे, उचित अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा ।

(3) पक्षकार उपधारा (1) के अधीन किसी निर्देश के अनुसरण में मध्यकता में कोई समझौता करने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा ।

अध्याय 4

मध्यक

मध्यकों की नियुक्ति ।

10. (1) जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति मध्यस्थ नियुक्त हो सकेगा :

परंतु किसी विदेशी राष्ट्रीयता का मध्यस्थ ऐसी अर्हता, अनुभव और प्रत्यायन रखेगा, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) पक्षकार, मध्यस्थ के नाम पर सहमत होने के लिए और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र होंगे ।

(3) यदि पक्षकार उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी विषय पर सहमत नहीं होते हैं, तो मध्यकता आरंभ करने की वांछा करने वाला पक्षकार किसी मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थ सेवा प्रदाता को आवेदन करेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर, मध्यक सेवा प्रदाता सात दिन के भीतर,—

(i) पक्षकारों द्वारा यथा सहमत मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा ; या

(ii) पक्षकारों के मामले में, जो मध्यस्थ या मध्यस्थों के रूप में नियुक्ति करने के लिए करार करने में असमर्थ हैं या उनके द्वारा सहमत मध्यस्थ कार्य करने से इंकार कर देते हैं, तो उनकी सहमति से उनके द्वारा बनाए गए पैनल से कोई मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा ।

(5) उपधारा (4) के खंड (i) के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति, ऐसे नियुक्ति की संसूचना की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर अपनी रजामंदी या अन्यथा संसूचित करेगा ।

अधिमान।

11. मध्यकता सेवा प्रदाता जब कि उसके द्वारा रखे गए मध्यस्थों के पैनल से किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जा रही हो, विवाद की विषयवस्तु का समाधान करने के लिए उनकी उपयुक्तता और पक्षकारों के दृष्टिकोण पर विचार करेगा।

हित का विरोध और प्रकटीकरण।

12. (1) जब कोई व्यक्ति मध्यक के रूप में नियुक्त किया गया हो तो वह व्यक्ति, मध्यकता के प्रारंभ करने से पहले किन्ही परिस्थितियों और संभाव्य

परिस्थितियों, कार्मिक, व्यावसायिक या वित्तीय या जो मध्यकता प्रक्रिया के संचालन में स्वतंत्र या निष्पक्षता पर ऐसे मध्यस्थों के रूप में न्यायोचित संदेह उत्पन्न होना संभाव्य है, के बारे में पक्षकारों को लिखित में प्रकट करेगा।

(2) मध्यकता प्रक्रिया के दौरान, मध्यक बिना किसी देरी के उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट किन्हीं हितों के विरोध को लिखित में जो नए उत्पन्न हुए हैं या उसके ज्ञान में आए हैं ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रकटीकरण पर पक्षकारों के पास किसी आपत्ति को अधित्यजन करने का विकल्प होगा यदि उनमें से सभी लिखित में वैसी ही अभिव्यक्ति करते हैं और इसका अर्थ यह लगाया जाएगा कि उन्हीं मध्यस्थों के साथ जारी रखने के लिए पक्षकारों की सहमति है और यदि वह उसे जारी रखने के लिए इच्छा करते हैं ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रकटीकरण पर यदि पक्षकार मध्यक को बदलने के लिए सहमत हैं तब ऐसे मामले में,—

(i) संस्थागत मध्यकता, पक्षकार मध्यक की आज्ञा का पर्यवसान करने के लिए मध्यकता सेवा प्रदाता को आवेदन करेंगे; या

(ii) संस्थागत मध्यकता के सिवाय मध्यकता, ऐसे पक्षकार मध्यक की आज्ञा का पर्यवसान करेंगे।

मध्यक के आदेश का पर्यवसान।

13. कोई मध्यकता सेवा प्रदाता मध्यक के आदेश का पर्यवसान कर सकेगा,--

(i) धारा 12 की उपधारा (4) के खंड (i) के अधीन पक्षकारों से आवेदन के प्राप्त होने पर; या

(ii) भागीदारों या किसी अन्य व्यक्ति से हितों के विरोध के मामले में मध्यक के शामिल होने के बारे में सूचना की प्राप्ति होने पर; या

(iii) जहां उसने किसी कारण से स्वयं को पद से हटा लिया है :

परन्तु खंड (ii) के अधीन पर्यवसान पर केवल तभी प्रभाव होगा यदि मध्यक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् मध्यकता सेवा प्रदाता यह पाता है कि मध्यक के रूप में स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह है और वही पक्षकारों के ज्ञान में भी लाया गया है और पक्षकार मध्यक को बदलने के लिए सहमत है।

मध्यक का बदला जाना।

14. मध्यक के पर्यवसान पर,—

(i) धारा 12 की उपधारा (4) के खंड (ii) के अधीन तदर्थ मध्यकता के मामले में पक्षकार पारस्परिक सहमति द्वारा, ऐसे पर्यवसान से सात दिनों की अवधि के भीतर अन्य मध्यक को नियुक्त कर सकेंगें; और

(ii) धारा 13 के अधीन संस्थागत मध्यकता के मामले में मध्यकता सेवा प्रदाता ऐसे पर्यवसान से सात दिनों के भीतर उसके द्वारा रखे गए पैनल से अन्य मध्यक नियुक्त करेगा।

अध्याय 5

मध्यकता प्रक्रिया

मध्यकता के लिए क्षेत्रीय अधिकार।

15. इस अधिनियम के अधीन मध्यकता विवाद की विषयवस्तु का विनिश्चय करने के लिए सक्षम अधिकारिता के न्यायालय या अधिकरण की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर होगी :

परन्तु पक्षकारों की पारस्परिक सहमति पर मध्यकता न्यायालय या अधिकरण की क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान पर या आनलाइन मध्यकता के द्वारा संचालित की जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण—संदेहों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि जहां पक्षकार प्रवर्तन, आक्षेप और मध्यकता समझौता करार के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान पर या आनलाइन मध्यकता के संचालन के लिए सहमत है, तो उसे न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता या सक्षम अधिकारिता वाले अधिकरण के भीतर किया हुआ समझा जाएगा ।

16. विशिष्ट विवाद के संबंध में मध्यकता कार्यवाही प्रारंभ हुई समझी जाएगी— मध्यकता का प्रारंभ।

(क) जहां मध्यकता के माध्यम से विवादों में समझौता करने के लिए, उनके विवादों की मध्यकता और समझौते के लिए एक पक्ष दूसरे पक्ष या पक्षों को सूचना जारी करता है कि पक्षकारों के बीच करार विद्यमान है ; या

(ख) अन्य मामले में—

(i) उस दिन जिस पर उनके बीच विवादों की मध्यकता और समझौते के लिए उनकी पसंद के मध्यस्थ को नियुक्त करने के लिए पक्षों में करार है ; या

(ii) उस दिन जिसको पक्षों में से कोई एक मध्यक की नियुक्ति द्वारा मध्यकता के माध्यम से विवादों के समझौते के लिए मध्यक सेवा प्रदाता को आवेदन करता है ।

17. (1) मध्यक पक्षकारों को उनके विवाद के सौहार्दपूर्ण समझौते तक पहुंच के लिए अपने प्रयास में स्वतंत्र, तटस्थ और निष्पक्ष रीति में सहायता करेगा । मध्यकता का संचालन।

(2) मध्यक, सभी समय वस्तुनिष्ठता और ऋजुता के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा और पक्षकारों की स्वेच्छा, विश्वसनीयता और स्वतः विनिश्चय का और यथा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक और सदाचारिक आचरण के लिए मानकों का संरक्षण करेगा, जो विहित किए जाएं ।

(3) मध्यकता प्रक्रिया में मध्यक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपाय करेगा जो समुचित विचारित किए जाएं जिसमें पक्षकारों या भागीदारों, संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से बैठक करना, जैसे मध्यक द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक उचित समझे, मध्यकता की सुविधा के लिए दोनों अनुक्रम और मध्यकता के दौरान आनुक्रमिक रूप से प्रक्रिया का संचालन करना और इसकी एकाग्रता को बनाए रखना शामिल है।

1908 का 5
1872 का 1

(4) मध्यक सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 द्वारा बाध्य नहीं होंगे।

(5) मध्यक, पक्षकारों की सहमति से मध्यकता प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली भाषा या भाषाओं का विनिश्चय करेगा।

18. (1) मध्यक, पक्षकारों द्वारा विवाद के स्वैच्छिक समझौते को सुकर बनाने के लिए प्रयास करेगा और उनके द्वारा जहां तक वे सहमत है, विचार को एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को संसूचित करेगा, मुद्दों की पहचान करने, भ्रान्ति को कम करने, पूर्विकता को स्पष्ट करने, समझौते के क्षेत्र की खोज करने और मध्यक की भूमिका।

शीघ्रतापूर्वक विवाद के समाधान के प्रयास में विकल्पों को बनाने में उनकी सहायता करेगा, जोर दिया गया है कि यह पक्षकारों का उत्तरदायित्व होगा कि उनके दावों के संबंध में निर्णय ले ।

(2) पक्षकार अभिव्यक्त रूप से सूचित करेंगे कि मध्यक विवाद/विवादों के समाधान पर विनिश्चय पर पहुंचने को सुकर बनाएगा और वह कोई समझौता अधिरोपित नहीं कर सकेगा और न ही कोई आश्वासन देंगे कि मध्यकता समझौते का परिणाम होगी।

अन्य कार्रवाई में मध्यक की भूमिका ।

19. पक्षकारों द्वारा जब तक कि अन्यथा करार न हो,—

(क) मध्यक विवाद के संबंध में किसी माध्यस्थम् या न्यायिक कार्यवाही में, मध्यकता प्रक्रिया की विषयवस्तु है । मध्यक के रूप में या पक्षकारों प्रतिनिधि या कांउसिल के रूप में कार्य नहीं करेगा ;

(ख) मध्यक पक्षकारों द्वारा किसी माध्यस्थम् या न्यायिक कार्यवाही में साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जाएगा ।

मध्यकता से पक्षकारों की वापसी ।

20. (1) पक्षकार पहले दो मध्यक सत्रों के पश्चात् किसी भी समय मध्यकता से बाहर हो सकेंगे ।

(2) जहां कोई भी पक्षकार बिना किसी युक्तियुक्त कारण के पहले दो मध्यस्थ सत्रों में उपस्थित होने में असफल रहता है, जिसके परिणामस्वरूप मध्यकता असफल होती है, न्यायालय या अधिकरण पक्षकरों के बीच उसी विषयवस्तु पर पश्चात्वर्ती मुकदमेबाजी में ऐसे पक्ष के उक्त आचरण को विचार में लिया जा सकेगा और ऐसा व्यय अधिरोपित किया जा सकेगा, जो आवश्यक समझे ।

मध्यस्थ को पूरा करने के लिए समय-सीमा।

21. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन मध्यकता, मध्यक के समक्ष पहली उपस्थिति के लिए नियत एक सौ अस्सी दिनों की अवधि भी पूरी की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन उल्लिखित मध्यकता के लिए अवधि पक्षकारों द्वारा सहमति के अनुसार अवधि आगे के लिए बढ़ाई जा सकेगी, लेकिन एक सौ अस्सी दिनों से अधिक नहीं होगी ।

मध्यकता समझौता करार ।

22. (1) मध्यकता समझौता करार से मध्यकता के परिणामस्वरूप कुछ या सभी पक्षकारों के बीच लिखित में करार या अंतरिम करार, ऐसे पक्षकारों के बीच कुछ या सभी विवादों का सुलझाना और मध्यक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना अभिप्रेत है और ये इसके अंतर्गत आते हैं :

परंतु मध्यकता समझौता करार के निबंधनों का, मध्यकता को निर्दिष्ट विवादों से परे विस्तार किया जा सकता है ।

स्पष्टीकरण—मध्यकता समझौता करार, जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अधीन शून्य है, मध्यकता समझौता करार के अर्थान्तर्गत विधिपूर्ण समझौता करार नहीं समझा जाएगा । 1872 का 9

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट मध्यकता समझौता करार सभी मुद्दों या उनमें से कुछ मुद्दों के संबंध में पक्षकारों के बीच किया जाता है, वहां वह पक्षकारों द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा और हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(3) धारा 26 और धारा 27 के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(i) सांस्थानिक मध्यकता के मामले में इस प्रकार हस्ताक्षरित मध्यकता

समझौता करार ऐसे मध्यक को प्रस्तुत किया जाएगा, जो उसे अधिप्रमाणित करने के पश्चात् उसके द्वारा हस्ताक्षरित आवरण पत्र के साथ मध्यकता सेवा प्रदाता को भेजेगा और उसकी एक प्रति पक्षकारों को भी प्रदान करेगा ;

(ii) अन्य सभी मामलों में, इस प्रकार हस्ताक्षरित पक्षकारों का करार ऐसे मध्यक को प्रस्तुत किया जाएगा, जो समझौता करार को अधिप्रमाणित करने के पश्चात् सभी पक्षकारों को एक प्रति उपलब्ध कराएगा ।

(4) धारा 26 और धारा 27 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां धारा 20 में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर पक्षकारों के बीच कोई करार नहीं होता है या जहां मध्यक का यह अभिमत है कि कोई समझौता संभव नहीं है,—

(i) मध्यक सांस्थानिक मध्यकता के मामले में लिखित में मध्यकता सेवा प्रदाता को इस प्रभाव की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(ii) अन्य सभी मामलों में, मध्यक इस प्रभाव की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और सभी पक्षकारों को हस्ताक्षरित प्रति प्रदान करेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट रिपोर्ट में, मध्यकता के दौरान पक्षकारों द्वारा समझौता करने या समझौता संचालित करने के लिए कोई अन्य विषय या बात निर्दिष्ट करने की असफलता संबंधी खंड का प्रकटन नहीं होगा ।

(5) पक्षकार, मध्यकता प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय मध्यकता की विषयवस्तु का भागरूप होने वाले मुद्दों में से किसी मुद्दे के संबंध में अंतरिम या आंशिक करार कर सकेंगे ।

(6) इस धारा के अधीन किसी मध्यकता समझौता करार में आन-लाइन मध्यकता से उत्पन्न और वैसी ही रीति में इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर या अन्यथा के माध्यम से पक्षकारों द्वारा सम्यक्त: हस्ताक्षरित या उसके द्वारा अधिप्रमाणित समझौता करार भी होगा ।

(7) अभिलेख के प्रयोजन के लिए, न्यायालय उपाबद्ध मध्यकता केंद्रों में या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 21 और धारा 22ङ के अधीन किए गए समझौते से भिन्न पक्षकारों के बीच किया गया कोई मध्यकता समझौता करार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित प्राधिकरणों के पास रजिस्ट्रीकृत होगा और ऐसे प्राधिकरण, प्राधिकरणों द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे समझौतों को विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या जारी करेंगे :

1987 का 39

परंतु इस धारा के अधीन पक्षकारों के बीच किए गए मध्यकता समझौता करार विवाद की विषयवस्तु का विनिश्चय करने के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय या अधिकरण की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसा रजिस्ट्रीकरण इस उपधारा के अधीन किए गए विनियमित समय तक आज्ञापक नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—संदेहों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 28 के अधीन मध्यकता किए गए समझौता करार, प्रवृत्त करने के लिए पक्षकारों या धारा 29 के अधीन यथा उपबंधित चुनौती देने के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे ।

(8) मध्यकता समझौता करार के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए वाणिज्यिक विवाद के सिवाय मामलों में, जिसमें मध्यकता, मध्यकता सेवा प्रदाता द्वारा संचालित नहीं है, वहां मध्यकता समझौता करार के लिए पक्षों की या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति उपधारा (7) में निर्दिष्ट प्राधिकरण के समक्ष आज्ञापक होगी ।

(9) उपधारा (7) में निर्दिष्ट अधिप्रमाणित रजिस्ट्रीकरण मध्यकता समझौता करार की प्रति की प्राप्ति की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर पक्षों, मध्यक या मध्यकता सेवा प्रदाता द्वारा कराया जाएगा :

परंतु मध्यकता समझौता करार ऐसी फीस का संदाय किए जाने पर एक सौ अस्सी दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, जो उपधारा (7) में निर्दिष्ट प्राधिकरण की सहमति से विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा ।

गोपनीयता ।

23. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय मध्यक, मध्यकता सेवा प्रदाता, पक्षकार और मध्यकता के भागीदार, मध्यकता कार्यवाहियों से संबंधित निम्नलिखित विषयों को गोपनीय रखेंगे,—

(i) मध्यकता के दौरान की गई अभिस्वीकृतियां, राय, सुझाव, वचन, प्रस्ताव, क्षमा और अभिस्वीकृति ;

(ii) मध्यकता में किए गए आदान-प्रदान या मध्यकता की स्वीकृति या मध्यकता के लिए रजामंदी, किए गए प्रस्तावों को स्वीकार करने की स्वीकृति ;

(iii) मध्यकता के संचालन या उसके संबंध में एकमात्र तैयार किए गए दस्तावेज ।

(2) मध्यकता कार्रवाई की कोई श्रव्य या दृश्य अभिलेखन, मध्यकता प्रक्रिया की संचालन की गोपनीयता को सुरक्षित करने के लिए पक्षकारों या भागीदारों द्वारा, जिसके अंतर्गत मध्यक और मध्यकता सेवा प्रदाता भी शामिल है द्वारा, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से या आनलाइन संचालित की गई हो, नहीं की जाएगी या रखी जाएगी ।

(3) मध्यकता के लिए कोई पक्षकार किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में जिसमें माध्यस्थम् अधिकरण शामिल है, उपधारा (1) के खंड (i) से (iii) में उपवर्णित किसी सूचना या संसूचना को साक्ष्य के रूप में जारी या प्रस्तुत नहीं करेंगे, जिसमें इलैक्ट्रानिक प्ररूप में कोई जानकारी या मौखिक संसूचना शामिल है और न्यायालय या अधिकरण, जिसमें माध्यस्थम् अधिकरण भी शामिल है, ऐसी जानकारी या साक्ष्य पर संज्ञान नहीं लेगा ।

(4) इस धारा के उपबंध अनुसंधान, रिपोर्टिंग या प्रशिक्षण प्रयोजन के लिए, साधारण जानकारी संबंधी मामले, जो मध्यकता के अधीन हैं, के अनुपालन या प्रकटन से मध्यक को नहीं रोकेंगे, यदि जानकारी अभिव्यक्त रूप से या अप्रत्यक्ष मध्यकता में विनिर्दिष्ट विवादों के पक्षकारों या भागीदारों की पहचान नहीं होती है ।

स्पष्टीकरण—संदेहों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात मध्यकता समझौता करार को लागू नहीं होगी, जहां यह रजिस्ट्रीकरण, कार्यान्वयन या निष्पादन या परिवर्तन के प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

24. (1) मध्यकता में कोई मध्यक या प्रतिभागी, जिसके अंतर्गत मध्यकता के प्रयोजन के लिए लगे हुए विशेषज्ञ या सलाहकार और मध्यकता के प्रशासन में अंतर्वलित व्यक्ति भी हैं, को किसी भी समय, किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष मध्यकता में किसी संसूचना को या किसी न्यायनिर्णायक कार्यवाहियों, चाहे वह किसी भी वर्णन की हों, में प्रकट करने के लिए या मध्यकता के दौरान पक्षकारों के किसी दस्तावेज या उसकी प्रकृति या आचरण की अंतर्वस्तु या शर्तों, जिनके अंतर्गत बातचीत या प्रस्थापनों या प्रतिस्थापनों, जिनसे वे मध्यस्थता के दौरान परिचित हो गए हैं, की अंतर्वस्तु भी है, का कथन करने के लिए अनुज्ञात या विवश नहीं किया जाएगा : प्रकटन के विरुद्ध ग्राह्यता, विशेषाधिकार।

परंतु इस धारा और धारा 23 में की कोई बात वांछित सूचना या मध्यकता के दौरान होने वाले आचरण के आधार पर वृत्तिक दुराचरण या अनाचार के दावे या शिकायत को साबित करने या उस पर विवाद खड़ा करने के लिए संरक्षा नहीं करेगी या उसका उपबंध नहीं करेगी ।

(2) ऐसा विशेषाधिकार और गोपनीयता नहीं है, जो निम्नलिखित से संबद्ध हो,—

(क) विधि के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए धमकी या योजना का कथन ;

(ख) घरेलू हिंसा या बाल दुरुपयोग से संबंधित सूचना ; और

(ग) लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा को सारवान् त्वरित खतरा दर्शित करते हुए मध्यकता के दौरान किए गए कथन।

25. इस भाग के अधीन मध्यकता कार्यवाहियां निम्नानुसार पर्यवसित हो जाएंगी,— मध्यकता का समापन ।

(क) मध्यकता समझौता करार पर हस्ताक्षर और अधिप्रमाणन की तारीख को ; या

(ख) पक्षकारों से या अन्यथा परामर्श के पश्चात् मध्यकता द्वारा इस प्रभाव की घोषणा करके कि मध्यकता पर और प्रयास घोषणा की तारीख को अब और न्यायोचित नहीं है ; या

(ग) दूसरे मध्यकता सत्र के अवसान से सात दिन पर जब कोई पक्षकार पहले दो मध्यकता सत्रों में उपस्थित होने में असफल रहता है और मध्यक ने ऐसे पक्षकार से कोई संसूचना प्राप्त नहीं की है ; या

(घ) मध्यक और अन्य पक्षकारों को संबोधित इस प्रभाव की व्यय मध्यकता से बाहर होने की वांछा रखते है, पक्षकार या पक्षकारों द्वारा संसूचित करने पर :

परंतु पक्षकारों को ऐसी संसूचना देने से पूर्व कम से कम दो मध्यकता सत्रों में भाग लेना होगा ; या

(ङ) धारा 21 के अधीन समय-सीमा के अवसान पर ।

26. (1) न्यायालय उपाबद्ध मध्यकता के प्रयोजन के लिए, जिसके अंतर्गत मुकदमा-पूर्व मध्यकता सम्मिलित है, मध्यकता संचालित करने की प्रक्रिया वह होगी, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के व्यवहार निदेशों या विरचित नियमों, न्यायालय उपाबद्ध मध्यकता।

चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, के अधीन अवधारित की जाए।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय मध्यकता समिति का गठन कर सकेंगे ।

(3) मध्यकता संचालित करने के प्रयोजन के लिए मध्यकता समिति सभी न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के व्यवहार निदेशों या विरचित नियमों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, के अधीन नियमों के अनुसार मध्यकों का एक पैनल रखेगी।

(4) जहां न्यायालय या अधिकरण द्वारा निर्दिष्ट मध्यकता में कोई पक्षकार सभी या किन्हीं विवादों के संबंध में समझौता करार करता है, तो समझौता करार की एक प्रति उक्त न्यायालय या अधिकरण के समक्ष और उपबंधित न्यायालय निर्दिष्ट मध्यकता से भिन्न मामलों में पक्षकारों के समक्ष विचारार्थ रखी जाएगी ।

(5) यदि पक्षकार, उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई समझौता करार नहीं करते हैं, तो मध्यक द्वारा निम्नलिखित को असफलता की एक रिपोर्ट अग्रेषित की जाएगी—

(i) यथास्थिति, न्यायालय या अधिकरण को, जिसको मध्यकता के लिए मामला निर्दिष्ट किया गया है ;

(ii) अन्य मामलों में पक्षकारों को ।

लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत द्वारा मध्यकता।

27. इस अधिनियम के उपबंध विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत द्वारा संचालित की गई प्रक्रिया पर लागू नहीं होंगे । 1987 का 39

अध्याय 6

मध्यकता निपटारा करार की प्रास्थिति

मध्यकता निपटारा करार का प्रवर्तन ।

28. (1) पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित और मध्यक द्वारा अधिप्रमाणित मध्यकता के परिणामस्वरूप एक मध्यकता निपटारा करार पक्षकारों और उनके अधीन दावा करने वाले संबंधित व्यक्तियों पर बाध्यकारी और अंतिम होगा तथा उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रवर्तनीय होगा ।

(2) धारा 29 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, मध्यकता समझौता करार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के अनुसार उसी रीति में प्रवर्तनीय होगा, जैसे कि वह न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या डिक्री हो और तदनुसार प्रतिरक्षा के माध्यम से, मुजरा या किसी विधिक कार्यवाही में अन्यथा किन्हीं पक्षकारों या उनके माध्यम से दावा करने वाले किन्हीं व्यक्तियों द्वारा निर्भर किया जा सकेगा । 1908 का 5

मध्यकता निपटारा करार पर आक्षेप ।

29. (1) किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसे मामले में जिसमें पक्षकारों के मध्य न्यायालय को निर्दिष्ट मध्यकता में या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत द्वारा मध्यकता निपटारा करार से भिन्न परिनिर्धारित किया जाता है और दोनों में से किसी पक्षकार द्वारा उस पर आक्षेप चाहा गया है, तो वह किसी न्यायालय या सक्षम अधिकारिता वाले अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगा । 1987 का 39

(2) मध्यकता निपटारा करार पर केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं आधारों पर आक्षेप किया जा सकेगा,—

(i) कपट; या

(ii) भ्रष्टाचार; या

(iii) प्रतिरूपण;

(iv) जहां किसी विवाद या मामले में संचालित मध्यकता धारा 7 के अधीन मध्यकता के लिए उपयुक्त नहीं है ।

(3) मध्यकता निपटारा करार पर आक्षेप करने के लिए कोई आवेदन उस तारीख से जिसको वह आवेदन करने वाले पक्षकार ने धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन मध्यकता निपटारा करार की प्रति प्राप्त की हैं, नब्बे दिवस बीत जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा :

परंतु यदि यथास्थिति, न्यायालय या अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उक्त नब्बे दिवस की अवधि के भीतर आवेदन किए जाने से पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित हो गया था, तो वह नब्बे दिवस की अतिरिक्त अवधि के भीतर आवेदन स्वीकार कर सकेगा ।

30. जब तक कि सभी पक्षकार सहमत न हों, मध्यकता के सभी खर्च, जिसके अंतर्गत मध्यक की फीस और मध्यकता सेवा प्रदाता के प्रभार भी हैं, सभी पक्षकारों द्वारा समान रूप से वहन किए जाएंगे। लागत ।

31. परिसीमा अधिनियम, 1963 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्हीं कार्रवाइयों, जिनके संबंध में इस अधिनियम के अधीन मध्यकता की गई है, के लिए नियत मध्यकता अवधि की गणना में धारा 16 के अधीन मध्यकता प्रारंभ होने की तारीख से और— परिसीमा ।

(i) धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण; या

(ii) धारा 25 के अधीन मध्यकता के पर्यवसान ; या

(iii) न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट मध्यकता के धारा 26 की उपधारा (4) के निबंधनों में हुआ समझौता करार ; या

(iv) धारा 26 की उपधारा (5) के खंड (ii) के निबंधनों में समझौता रिपोर्ट को अग्रेषित करने,

तक की अवधि अपवर्जित की जाएगी ।

अध्याय 7

आनलाइन मध्यकता

32. (1) आनलाइन मध्यकता, जिसके अंतर्गत मुकदमा-पूर्व मध्यकता भी है, इस अधिनियम के अधीन मध्यकता के किसी भी स्तर पर पक्षकारों की लिखित सहमति से संचालित की जा सकेगी जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक प्ररूप या कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग द्वारा मध्यकता सम्मिलित है लेकिन यह किसी गूढ़लेखित इलैक्ट्रानिक ई-मेल सेवा, सुरक्षित चैट रूप और वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा आडियो रीति या दोनों तक सीमित नहीं है । आनलाइन मध्यकता ।

(2) आनलाइन मध्यकता की प्रक्रिया ऐसी रीति में होगी जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) आनलाइन मध्यकता ऐसी परिस्थितियों में संचालित की जाएगी जो पूरे समय कार्यवाहियों की निष्पक्षता के आवश्यक तत्व और गोपनीयता अनुरक्षित करे और मध्यक इस संबंध में ऐसे समुचित कदम उठा सकेगा जो उचित समझे ।

(4) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, आनलाइन मध्यकता की दशा में मध्यकता संसूचनाओं में मध्यकता की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी ।

अध्याय 8

भारतीय मध्यकता परिषद्

मध्यकता परिषद् का स्थापन और निगमन ।

33. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के पालन और कृत्यों के निर्वहन के लिए भारतीय मध्यकता परिषद् के नाम से ज्ञात एक परिषद् की स्थापना करेगी ।

(2) परिषद् पूर्वोक्त नाम की एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे जंगम और स्थावर दोनों ही प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) परिषद् का मुख्यालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थानों पर होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ।

(4) परिषद्, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से भारत में और विदेश में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगी ।

परिषद् की संरचना ।

34. (1) परिषद्, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसके पास विधि, वैकल्पिक विवाद समाधान, लोक कार्य या प्रशासन से संबंधित समस्याओं से व्यौहार करने का पर्याप्त ज्ञान और वृत्तिक अनुभव हो या जिसने ऐसी क्षमता दर्शित की हो—अध्यक्ष ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक व्यक्ति, जो मध्यकता या वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों से संबंधित विधि का ज्ञान और अनुभव रखता हो—पूर्णकालिक सदस्य;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक प्रख्यात व्यक्ति जो मध्यकता और वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों के क्षेत्र में अनुसंधान या अध्यापन का अनुभव रखता हो—पूर्णकालिक सदस्य;

(घ) भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग का सचिव या उसका संयुक्त सचिव के पद से अन्यून पद का प्रतिनिधि —सदस्य, पदेन;

(ङ) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का सचिव या उसका संयुक्त सचिव के पद से अन्यून पद का प्रतिनिधि —सदस्य, पदेन;

(च) मुख्य कार्यकारी अधिकारी—सदस्य सचिव, पदेन; और

(छ) केन्द्रीय सरकार द्वारा चयनित मान्यताप्राप्त वाणिज्य और उद्योग

निकाय का एक प्रतिनिधि–अंशकालिक सदस्य ।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न परिषद् का अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य और अल्पकालिक सदस्य अपना पद ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे :

परंतु पदेन सदस्य से भिन्न कोई अध्यक्ष पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य, अध्यक्ष की दशा में सत्तर वर्ष और सदस्य की दशा में सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् ऐसा पद धारण नहीं करेगा ।

(3) उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।

(4) अल्पकालिक सदस्य ऐसे यात्रा और अन्य भत्तों के हकदार होंगे, जो विहित किए जाएं ।

रिक्तियों, आदि से परिषद् की कार्यवाहियों का अविधिमान्य नहीं होना ।

35. परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण भी अविधिमान्य नहीं होगी, यदि—

(क) परिषद् में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि हो; या

(ख) परिषद् के अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि हो; या

(ग) परिषद् की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती हो ।

पदत्याग ।

36. अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य या अल्पकालिक सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा :

परंतु उक्त अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य या अल्पकालिक सदस्य जब तक कि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा उससे पहले पद का त्याग करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो, ऐसी सूचना की तारीख से तीस मास की समाप्ति तक या उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति के पद ग्रहण करने तक या उसकी पदावधि की समाप्ति तक, जो भी पूर्वतम हो, अपना पद धारण करता रहेगा ।

पद से हटाना ।

37. केन्द्रीय सरकार, किसी अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य या अल्पकालिक सदस्य को पद से हटा देगी, यदि वह—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो ; या

(ख) केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के बिना अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय किसी सवेतन नियोजन में नियोजित हो ; या

(ग) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ; या

(घ) जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हो जिससे उसके अध्यक्ष या ऐसे सदस्य के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हैं ; या

(ङ) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो जिसके कारण उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल है ; या

(च) जो ऐसे किसी अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य या अल्पकालिक सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से शैथिल्य

हो गया हो :

परन्तु जहां किसी अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य या अल्पकालिक सदस्य को किसी आधार पर हटाए जाने का प्रस्ताव है वहां उसे, उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप संसूचित किए जाएंगे और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

विशेषज्ञों की नियुक्ति और उनकी समितियों का गठन ।

38. परिषद्, अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसी शर्तों और निबंधनों पर जो विनिर्दिष्ट की जाए ऐसे विशेषज्ञों की नियुक्ति और विशेषज्ञों की ऐसी समितियों का गठन जैसा वह आवश्यक समझे, कर सकेगी ।

परिषद् का सचिवालय और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।

39. (1) परिषद् का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा जो परिषद् के दिन प्रतिदिन प्रशासन और उसके विनिश्चयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अर्हताएं, नियुक्ति और सेवाओं की अन्य निबंधनें तथा शर्तें ऐसी होंगी जो विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसे कृत्यों का निर्वहन और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) परिषद् का एक सचिवालय होगा जिसमें ऐसी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी होंगे, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(5) कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों की अर्हताएं, नियुक्ति और सेवाओं की अन्य निबंधनें तथा शर्तें ऐसी होंगी जो विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(6) केन्द्रीय सरकार इस धारा के अधीन विनियमों के बनाए जाने तक परिषद् के कृत्यों के लिए ऐसी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी प्रदत्त करेगी, जो आवश्यक समझे ।

परिषद् के कर्तव्य और कृत्य ।

40. परिषद्—

(क) समुचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के माध्यम से भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यकता का संवर्धन करने के लिए प्रयास करेगी ;

(ख) भारत को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यकता के सुदृढ़ केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रयास करेगी ;

(ग) मान्यताप्राप्त मध्यकता संस्थानों द्वारा मध्यकों की सतत शिक्षा, प्रमाणन और निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश अधिकथित करेगी ;

(घ) मध्यकों के रजिस्ट्रीकरण की रीति का उपबंध करना और ऐसी शर्तों के आधार पर, ऐसे रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करेगी, प्रतिसंहरण करेगी, रद्द करेगी या ऐसे रजिस्ट्रीकरण को निलंबित करेगी, जो विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ङ) मध्यकों के वृतिक और नैतिक आचार के लिए मानक अधिकथित करेगी जो धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन हो ;

(च) भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मध्यकता सेवा प्रदाताओं, विधिक फर्मों और विश्वविद्यालयों और वन्य पणधारियों तथा किन्हीं अन्य मध्यकता संस्थानों के सहयोग से मध्यकता के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यशालाओं और पाठ्यक्रमों का आयोजन करना; और

(छ) इस संबंध में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निकायों या संगठनों या संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन/करार करना;

(ज) मध्यकता संस्थाओं और मध्यकता सेवा प्रदाताओं को मान्यता प्रदान करना तथा ऐसी मान्यता का नवीकरण, प्रतिसंहरण, निलंबन या रद्द करना ;

(झ) मध्यकता संस्थाओं और मध्यकता सेवा प्रदाताओं की मान्यता के लिए मानदंड विनिर्दिष्ट करना ;

(ञ) मध्यकता संस्थानों और मध्यकता सेवा प्रदाताओं से किसी सूचना या अभिलेख की मांग करना ;

(ट) मध्यकता संस्थानों और मध्यकता सेवा प्रदाता के वृत्तिक नैतिक आचरण के लिए मानक अधिकथित करना ;

(ठ) ऐसी सूचना, डाटा, अनुसंधान अध्ययन और ऐसी अन्य सूचना का प्रकाशन करना जैसी कि अपेक्षा की जाए ;

(ड) भारत में किए गए मध्यकता समझौता करारों के इलैक्ट्रोनिकी निक्षेपागार और उससे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों का ऐसी रीति में अनुरक्षण करना जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ; और

(ढ) कोई अन्य कृत्य करना जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा समनुदेशित किए जाएं ।

अध्याय 9

मध्यकता सेवा प्रदाता और मध्यकता संस्थान

41. परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त मध्यकता सेवा प्रदाता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, श्रेणी प्रदान की जाएगी । मध्यकता सेवा प्रदाता ।

42. मध्यकता सेवा प्रदाता निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेंगे, अर्थात्:— मध्यकता सेवा प्रदाताओं के कृत्य ।

(क) मध्यकों का प्रत्यायन और मध्यकों के पैनल का अनुरक्षण ;

(ख) मध्यकता के संचालन के लिए मध्यकों की सेवाएं प्रदान करना ;

(ग) मध्यकर्तों के दक्ष संचालन के लिए सभी सुविधाएं सचिवालयिक सहायता और अवसंरचना प्रदान करना ;

(घ) मध्यकों के मध्य उत्तम वृत्तिक और नैतिक आचार की अभिवृद्धि करना ;

(ङ) धारा 22 के उपबंधों के अनुसार मध्यकता निपटारा करार के रजिस्ट्रीकरण को सुकर बनाना ।

(च) ऐसे अन्य कृत्य, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

43. परिषद् मध्यकता संस्थानों को ऐसे कर्तव्यों के पालन के लिए और ऐसे कृत्यों के निष्पादन के लिए, जो विहित किए जाएं, मान्यता देगी । मध्यकता संस्थान ।

अध्याय 10

सामुदायिक मध्यकता

44. (1) किसी क्षेत्र या स्थान के निवासियों या कुटुंबों के मध्य शांति, सौहार्द और प्रशांति पर प्रभाव डालने वाले किसी विवाद का निपटारा, विवाद के पक्षकारों की पूर्व सहमति से सामुदायिक मध्यकता के माध्यम से किया जा सकेगा । सामुदायिक मध्यकता ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, कोई पक्षकार विवाद को मध्यकता के

लिए निर्दिष्ट करने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित संबद्ध प्राधिकरण या ऐसे क्षेत्रों में, जहां ऐसे अधिकरण का गठन नहीं किया गया है, उपखंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करेगा । 1987 का 39

(3) किसी विवाद के निपटारे को सुकर बनाने के लिए, जिसके लिए उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त हुआ है, यथास्थिति, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित प्राधिकरण या जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट, तीन मध्यकों का स्थायी पैनल तैयार करेंगे । 1987 का 39

(4) इस धारा के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, प्राधिकरण या जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट मध्यकों का एक स्थायी पैनल तैयार करेंगे, जिसे समय समय पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा ।

(5) उपधारा (3) के अनुसरण में अधसूचित पैनल में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित किए जा सकेंगे,—

(क) स्थायी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति जो समुदाय में सम्माननीय है ;

(ख) कोई स्थानीय व्यक्ति जिनके समाज के लिए योगदान को मान्यता प्रदान की गई है ;

(ग) क्षेत्र/निवासी कल्याण संगमों के प्रतिनिधि ;

(घ) कोई अन्य व्यक्ति जिसे समुचित समझा जाए ।

(6) उपधारा (4) के अनुसरण में पैनल तैयार करते समय महिला प्रतिनिधियों पर भी विचार किया जाएगा ।

सामुदायिक मध्यकता की प्रक्रिया ।

45. (1) किसी सामुदायिक मध्यकता का संचालन धारा 44 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट तीन मध्यकों के पैनल द्वारा किया जाएगा, जो विवाद का समाधान करने के प्रयोजन के लिए समुचित प्रक्रिया अपनाएगा ।

(2) मध्यक सामुदायिक मध्यकता के माध्यम से विवादों का समाधान करने के लिए प्रयास करेंगे और सौहार्दपूर्ण रूप से विवादों का समाधान करने के लिए पक्षकारों को सहायता प्रदान करेंगे ।

(3) प्रत्येक मामले में, जहां इस अधिनियम के अधीन मध्यकता के माध्यम से कोई समझौता करार होता है तो उसे पक्षकारों के हस्ताक्षर द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा और उसे मध्यकों द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा, जिसकी एक प्रति पक्षकारों को प्रदान की जाएगी तथा ऐसे मामलों में, जहां कोई समझौता करार नहीं होता है तो मध्यकों द्वारा, यथास्थिति, प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, उपप्रभागीय मजिस्ट्रेट और पक्षकारों को समझौता न होने की असफलता की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) इस अधिनियम के अधीन हुआ कोई समझौता करार उस क्षेत्र या अवस्थिति के निवासियों के बीच शांति, सामंजस्य और सौहार्द बनाने के प्रयोजन के लिए होगा किंतु वह इस अधिनियम में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी किसी सिविल न्यायालय के निर्णय या डिक्री के रूप में प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

(5) धारा 22 की उपधारा (7) और उपधारा (8) के उपबंध इस धारा के अधीन मध्यकता समझौता करार के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में यथावश्यक उपांतरणों सहित लागू होंगे ।

अध्याय 11

प्रकीर्ण

46. (1) इस अधिनियम के अधीन मध्यकता का संवर्धन करने, सुकर बनाने और प्रोत्साहित करने के प्रयोजनों के लिए 'मध्यकता निधि' (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'निधि' कहा गया है) नामक एक निधि की स्थापना की जाएगी । मध्यकता निधि ।

(2) निधि में निम्नलिखित का प्रत्यय किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशियां ;

(ख) मध्यकता सेवा प्रदाता, मध्यकता संस्थाओं या निकायों या व्यक्तियों से प्राप्त सभी फीसें और अन्य प्रभार ;

(ग) संदान, अनुदान, अभिदाय और अन्य स्रोतों से आय के रूप में परिशिष्ट द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां ;

(घ) निधि के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुदान ;

(ङ) निधि में अभिदाय के रूप में व्यक्तियों द्वारा जमा की गई रकमें ;

(च) किसी अन्य स्रोत से निधि में प्राप्त रकमें ; और

(छ) पूर्वोक्त पर ब्याज या निधि से किए गए विनिधान पर प्राप्त अन्य आय ।

(3) निधि का उपयोग अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों तथा परिषद् के व्ययों को, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के उपयोग और कर्तव्यों के निर्वहन में उपगत व्यय है, को चुकाने के लिए किया जाएगा ।

47. (1) परिषद् उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा, जिसके अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से यथाविहित प्ररूप और ऐसी रीति में, तुलनपत्र सहित लेखाओं का एक वार्षिक विवरण सम्मिलित है । लेखे और संपरीक्षा ।

(2) परिषद् के लेखाओं की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय परिषद् द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के हैं और विशेष रूप से लेखा पुस्तकों, लेखाओं, संबद्ध वाऊचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्र पेश करने की मांग करने तथा संस्थान और उसके द्वारा स्थापित तथा चलाई जा रही संस्थाओं के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित परिषद् के लेखे उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से केंद्रीय सरकार को भेजे

जाएंगे और वह सरकार उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।

48. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में या कृत्यों का निष्पादन करने में नीति के प्रश्नों पर ऐसे लिखित निदेशों से, जो समय-समय पर, केन्द्रीय सरकार उसे दे, आबद्ध होगी :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई निदेश देने से पूर्व परिषद् के मत पर विचार किया जाएगा ।

(2) कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

सरकारों की स्कीमें या दिशानिर्देश विरचित करने की शक्ति ।

49. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसे मामलों में, जहां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उसका कोई अस्तित्व या अभिकरण एक पक्षकार है, में किसी विवाद के मध्यस्थता या सुलह के माध्यम से समाधान के लिए और ऐसे मामलों में, जहां ऐसी स्कीम या दिशानिर्देश के अनुसार मध्यस्था या सुलह का संचालन किया जा सकता है, अधिसूचित की जाने वाली स्कीमें या दिशानिर्देश विरचित करने से निवारित नहीं करेगी ।

मध्यकता समझौता करार, जहां सरकार या उसका कोई अभिकरण, आदि एक पक्षकार है ।

50. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई विवाद, जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक विवाद है, जिसमें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उसका कोई अभिकरण, लोक निकाय, निगम और स्थानीय निकाय जिसके अंतर्गत उनके द्वारा नियंत्रित या उनके स्वामित्वाधीन निकाय हैं, एक पक्षकार है, किए गए समझौता करार पर केवल, यथास्थिति, ऐसी सरकार या उसके अस्तित्व या अभिकरणों, लोक निकायों, निगमों और स्थानीय निकायों के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित सहमति अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

51. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उस सरकार के किसी अधिकारी, परिषद् के अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी, मध्यक, मध्यक संस्थानों, मध्यक सेवा प्रदाताओं, मध्यकों के विरुद्ध नहीं होगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

52. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के वेतन और भत्ते और निबंधन और शर्तें ;

(ख) धारा 34 की उपधारा (4) के अधीन अंशकालिक सदस्यों को संदेय, यात्रा और अन्य भत्ते ;

(ग) धारा 47 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण का प्ररूप और रीति, जिसके अंतर्गत तुलन-पत्र है ; और

(घ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया गया है या विहित किया जाए ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

53. (1) परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे—

(क) धारा 3 के खंड (1) के स्पष्टीकरण (1) के अधीन ऐसे अन्य मंच ;

(ख) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन विदेशी राष्ट्रीयता के मध्यकों के लिए अर्हता, अनुभव और प्रत्ययता ;

(ग) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन मध्यकों के व्यवसायिक और नैतिक आचार के मानक ;

(घ) धारा 22 की उपधारा (7) के अधीन मध्यकता समझौता करार के रजिस्ट्रीकरण की रीति ;

(ङ) धारा 22 की उपधारा (9) के परंतुक के अधीन मध्यकता समझौता करार के रजिस्ट्रीकरण की फीस ;

(च) धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन आनलाइन मध्यकता संचालित करने के लिए प्रक्रिया की रीति ;

(छ) धारा 38 के अधीन विशेषज्ञों और विशेषज्ञ समितियों के निबंधन और शर्तें ;

(ज) धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अर्हताएं, नियुक्ति और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(झ) धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कृत्य और कर्तव्य ;

(ञ) धारा 39 की उपधारा (4) के अधीन परिषद् के सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या ;

(ट) धारा 39 की उपधारा (5) के अधीन परिषद् के कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों की अर्हताएं, नियुक्ति और अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ठ) धारा 40 के खंड (घ) के अधीन मध्यकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए शर्तें और ऐसे रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, प्रतिसंहरण, निलंबन या रद्द करना ;

(ड) धारा 40 के खंड (झ) के अधीन मध्यक संस्थाओं और मध्यकता सेवा प्रदाताओं की मान्यता के लिए मानदंड ;

(ढ) धारा 40 के खंड (ड) के अधीन मध्यकता किए गए समझौता करार के इलैक्ट्रानिकी निक्षेपागार के अनुरक्षण की रीति ;

(ण) धारा 41 के अधीन मध्यकता सेवा प्रदाताओं के श्रेणीकरण की रीति ;

(त) धारा 42 के खंड (च) के अधीन मध्यकता सेवा प्रदाता के ऐसे अन्य कृत्य ;

(थ) धारा 43 के अधीन मध्यकता संस्थानों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्य और कृत्य ; और

(द) कोई अन्य विषय, जिसके संबंध में, इस अधिनियम के अधीन परिषद्

द्वारा कृत्यों को करने के लिए उपबंध आवश्यक हों ।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

54. इस अधिनियम के अधीन धारा 7 की उपधारा (2), धारा 56 की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, नियम और विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना, नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना, नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु अधिसूचना, नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस अधिसूचना, नियम या विनियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

55. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों में अंतर्विष्ट मध्यकता या सुलह पर अध्यारोही प्रभाव होना ।

56. (1) दूसरी अनुसूची में वर्णित अधिनियमितियों की शर्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और विधि का बल रखने वाले किसी अन्य लिखत में अंतर्विष्ट किसी बात से असंगत होते हुए भी मध्यकता या सुलह के संचालन पर अध्यारोही प्रभाव होगा ।

(2) यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा दूसरी अनुसूची को संशोधित कर सकेगी और तत्पश्चात् वह तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी ।

अधिनियम का लंबित कार्यवाहियों को लागू न होना ।

57. यह अधिनियम इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व आरंभ की गई किसी मध्यकता या सुलह के संबंध में लागू नहीं होगा ।

1872 के अधिनियम संख्यांक 9 का संशोधन ।

58. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 का तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

1908 के अधिनियम संख्यांक 5 का संशोधन ।

59. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

1987 के अधिनियम संख्यांक 39 का संशोधन ।

60. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का पांचवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

61. माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

1996 के अधिनियम संख्यांक 26 का संशोधन ।

62. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 का सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

2006 के अधिनियम संख्यांक 27 का संशोधन ।

63. कंपनी अधिनियम, 2013 का आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

2013 के अधिनियम संख्यांक 18 का संशोधन ।

64. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का नवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

2016 के अधिनियम संख्यांक 4 का संशोधन ।

65. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

2019 के अधिनियम संख्यांक 35 का संशोधन ।

पहली अनुसूची

[धारा 7 देखिए]

विवाद जो मध्यकता के लिए उचित नहीं है

1. विवाद जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के आधार पर मध्यकता के लिए प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे ।

2. कपट, दस्तावेज गढ़ना, कूट रचना, प्रतिरुपण, दबाव के गंभीर और विनिर्दिष्ट विवाद ।

3. अल्पव्ययों, देवताओं, बौद्धिक निर्योग्यताओं वाले व्यक्तियों से संबंधित विवाद (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) [की अनुसूची के पैरा (2) के अधीन तथा धारा 2 के खंड (न) में यथापरिभाषित निर्योग्य व्यक्ति जिनके लिए उच्च सहयोग आवश्यक है], मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के खंड की धारा 2 के खंड (ध) में यथापरिभाषित मानसिक रुग्णता वाले व्यक्ति, विकृत चित्त वाले व्यक्ति जिनके संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 32 के अधीन कार्यवाहियां संचालित की जानी हैं और सरकार के विरुद्ध हक की घोषणा, सर्वबंधी अधिकार के प्रभाव वाली घोषणा के लिए वाद ।

4. दांडिक अपराधों हेतु अभियोजन अन्तर्वलित करने वाले विवाद ।

5. विवाद के विषय जो किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध हैं या लोक नीति के उल्लंघन में है या नैतिकता अथवा न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विरोधी हैं ।

6. किसी व्यवसायी या अन्य रजिस्ट्रीकृत वृत्तिक, जैसे विधि व्यवसायी, चिकित्सा व्यवसायी, दंत चिकित्सक, वास्तुविद्, चार्टर्ड अकाउंटेट या किसी वर्णन की किसी अन्य वृत्ति के संबंध में, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनियमित हैं, के रजिस्ट्रीकरण, अनुशासन, कदाचार के संबंध में किसी कानूनी प्राधिकारी या निकाय के समक्ष आरम्भ किए गए परिवाद या कार्यवाहियां ।

7. विवाद जिनका किसी तीसरे पक्षकार के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता हो जो मध्यकता कार्यवाहियों का पक्षकार नहीं हैं ।

8. किसी अधिनियमिति के अन्तर्गत आने वाली किसी विषय-वस्तु के संबंध में कोई कार्यवाही जिसपर राष्ट्रीय हरित अधिनियम, 2010 (2010 का 19) के अधीन गठित अधिकरण की अधिकारिता है ।

9. किसी राज्य विधायिका या भारत की संसद् द्वारा अधिनियमित किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर या प्रतिदायों के संबंध में किसी उद्ग्रहण, संग्रहण, शास्तियों या अपराधों के संबंध में कोई विवाद ।

10. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) के अधीन कोई अन्वेषण, जांच या कार्यवाही, जिसके अन्तर्गत अधिनियम के अधीन महानिदेशक के समक्ष कार्यवाहियां भी हैं, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 (1997 का 24) के अधीन भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण या उस अधिनियम के अधीन स्थापित दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां ।

11. विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन समुचित विद्युत आयोगों और अपील अधिकरणों के समक्ष कार्यवाहियां ।

12. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) के अधीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियां और अपील अधिकरण के समक्ष उनसे अपीलें ।

13. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां ।

14. भूमि अधिग्रहण विधियों या भूमि अधिग्रहण का उपबंध करने वाली किसी विधि के उपबंध के अधीन भूमि अधिग्रहण तथा प्रतिकर का अवधारण ।

15. विवाद की कोई अन्य विषय-वस्तु, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 56 देखिए)

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) ।

2. ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) ।

3. सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981 (1981 का 50) ।

4. कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) ।

5. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) ।

6. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का 56) ।

7. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिलोप) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) ।

8. वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) ।

9. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) ।

तीसरी अनुसूची

(धारा 58 देखिए)

संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 28 के अपवाद 1 और अपवाद 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

"**अपवाद 1**—माध्यस्थम् या मध्यकता विवाद, जो उद्भूत हो, को निर्दिष्ट संविदा की व्यावृति:—यह धारा किसी संविदा को अवैध नहीं ठहराएगी जिसके द्वारा किसी विषय या विषय के वर्ग के संबंध में दो या अधिक व्यक्ति सहमत होते हैं कि उनके बीच विवाद उद्भूत हो, तो माध्यस्थम् या मध्यकता के माध्यम से समाधान के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा ।

अपवाद 2—पहले ही उद्भूत हो चुके प्रश्नों को निर्दिष्ट करने के लिए संविदा की व्यावृत्ति—यह धारा लिखित में किसी संविदा को अवैध नहीं ठहराएगी, जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति माध्यस्थम् या मध्यकता के लिए उनके बीच पहले ही उद्भूत हो चुके किसी प्रश्न को निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो जाते हैं या माध्यस्थम् अथवा मध्यकता के प्रतिनिर्देश तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी उपबंध को प्रभावित करेगी ।"।

चौथी अनुसूची

(धारा 59 देखिए)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में—

(i) भाग 5 के अधीन, "विशेष कार्यवाहियां", शीर्ष के अधीन, "माध्यस्थम्", उपशीर्ष का लोप किया जाएगा;

(ii) धारा 89 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी:—

"89. न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा—

जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच विवाद का समझौता किया जा सकेगा, समझौते के ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते हैं, वहां न्यायालय—

(क) माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट कर सकेगी और तत्पश्चात् माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के उपबंध लागू होंगे मानो माध्यस्थम् के लिए कार्यवाहियां उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन समझौते के लिए निर्दिष्ट की गई थीं ; या

(ख) मध्यकता अधिनियम, 2021 के उपबंधों के अनुसार, पक्षकारों के विकल्प के अनुसार न्यायालय सहबद्ध मध्यकता केन्द्र या किसी अन्य मध्यक को, मध्यकता के पक्षकारों को निर्दिष्ट कर सकेगा ; या

(ग) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 20 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार विवाद को लोक अदालत को निर्दिष्ट करेगा और तत्पश्चात् उस अधिनियम के अन्य सभी उपबंध विवाद के संबंध में लागू होंगे ।

(घ) पक्षकारों के बीच समझौता करवा सकेगा तथा ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो न्यायिक समझौते के लिए उचित समझे ।"।

पांचवीं अनुसूची

(धारा 60 देखिए)

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 4 में खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(च) बातचीत, माध्यस्थम्, मध्यकता और सुलह के द्वारा विवादों का निपटारा, जिसके अन्तर्गत आनलाईन ढंग से निपटारा भी है, करने के लिए प्रोत्साहित करना ;"।

छठी अनुसूची

(धारा 61 देखिए)

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) में—

(क) धारा 43घ में,—

(i) उपधारा (1) में, "मध्यकता, सुलह", शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (2) के खंड (ङ), खंड (च) और खंड (झ) में "और सुलह", शब्दों का, जहां कहीं वे आते हैं, लोप किया जाएगा ।

(ख) धारा 61 से धारा 81 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"61. अधिनियमितियों में सुलह के प्रतिनिर्देश—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सुलह के माध्यम से विवादों के समाधान का उपबंध करने वाला तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के किसी अन्य उपबंध का अर्थ मध्यकता अधिनियम, 2021 के अधीन यथाउपबंधित मध्यकता के प्रतिनिर्देश लगाया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम और सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन यथाउपबंधित सुलह का अर्थ मध्यकता अधिनियम, 2021 की धारा 4 में निर्दिष्ट मध्यकता माना जाएगा ।

62. व्यावृत्ति--मध्यकता अधिनियम, 2021 के प्रारम्भ के पूर्व धारा 61 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा 61 से धारा 81 के अनुसरण में आरम्भ की गई कोई सुलह कार्यवाहियां इसी प्रकार जारी रहेगी, मानो मध्यकता अधिनियम, 2021 अधिनियमित न किया गया हो ।"।

1610RS—9

सातवीं अनुसूची

(धारा 62 देखिए)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में धारा 18 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"18. सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् को निर्देश—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी विवाद का कोई पक्षकार धारा 17 के अधीन देय किसी रकम के संबंध में सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् को निर्देश कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश प्राप्त होने पर, परिषद् या तो स्वयं मामले में मध्यकता कार्य करेगी या मध्यकता अधिनियम, 2021 के अधीन यथा उपबंधित किसी मध्यकता सेवा प्रदाता को मामला निर्दिष्ट करेगी ।

(3) इस धारा के अधीन मध्यकता का कार्य, मध्यकता अधिनियम, 2021 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन आरंभ की गई मध्यकता सफल नहीं होती है और पक्षकारों के मध्य कोई समझौता हुए बिना समाप्त हो गई है वहां परिषद् या तो विवाद पर स्वयं माध्यस्थम् कार्रवाई करेगी या उसे ऐसे माध्यस्थम् के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं उपलब्ध कराने वाली किसी संस्था या केन्द्र को निर्दिष्ट करेगी और तब माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के उपबंध ऐसे विवाद को ऐसे लागू होंगे, मानो वह उस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी माध्यस्थम् करार के अनुसरण में हो ।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् या वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं उपलब्ध कराने वाली किसी संस्था या केन्द्र को उसकी अधिकारिता के भीतर अवस्थित प्रदायकर्ता और भारत में किसी भी स्थान पर अवस्थित क्रेता के मध्य किसी विवाद में इस धारा के अधीन मध्यस्थ या मध्यक के रूप में कार्य करने की अधिकारिता होगी ।"।

आठवीं अनुसूची

(धारा 63 देखिए)

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में, धारा 442 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"**442 मध्यकता को निर्देश**—(1) कार्यवाहियों का कोई पक्षकार, केन्द्रीय सरकार, अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष किसी भी समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार अधिकरण या अपील अधिकरण को, ऐसे प्ररूप के साथ ऐसी फीस, यदि कोई हो, जो विहित की जाए, मध्यकता के लिए ऐसी कार्यवाहियों से संबंधित मामले को निर्देश करने के लिए आवेदन कर सकेगा और, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, अधिकरण या अपील अधिकरण को, मध्यकता अधिनियम, 2021 के उपबंधों के अधीन, मामले को कार्यान्वित की जाने वाली मध्यकता के लिए निर्दिष्ट करेगा ।

(2) इस धारा की कोई बात निवारित नहीं करेगी, केंद्रीय सरकार, अधिकरण, या अपील अधिकरण के समक्ष, जिसके समक्ष कोई कार्यवाही लंबित, ऐसी कार्यवाहियों के सबंध में किसी मामले को स्वप्रेरणा से, मध्यकता अधिनियम, 2021 के उपबंधों के अधीन कार्यों को करने वाली मध्यकता को, जो केन्द्रीय सरकार, अधिकरण, या अपील अधिकरण उचित समझे निर्दिष्ट करता है ।

(3) मध्यक या मध्यकता सेवा प्रदाता इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण सहित पक्षकारों के मध्य हुए मध्यकता करार को फाईल करेगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण उसके भाग के रूप में उक्त मध्यकता समझौता करार करते हुए आदेश या निर्णय पारित करेगा ।

(5) मध्यक की फीस वे होगी, जो विहित की जाएं ।"।

नौवीं अनुसूची

(धारा 64 देखिए)

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (2016 का 4) में—

(क) अध्याय 3क के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय रखा जाएगा, अर्थात् :—

"अध्याय 3क

मुकदमा-पूर्व मध्यकता और समझौता

12क. मुकदमा-पूर्व मध्यकता और समझौता--(1) कोई वाद, जो इस अधिनियम के अधीन कोई अत्यावश्यक अंतरिम अनुतोष को अनुध्यात नहीं करता, संस्थित नहीं किया जाएगा, यदि वादी ऐसी रीति और प्रक्रिया के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, मुकदमा-पूर्व मध्यकता के उपचार का उपयोग नहीं करता ।

(2) मुकदमा-पूर्व मध्यकता के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित को प्राधिकृत करेगी—

(i) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के अधीन गठित प्राधिकरण ; या

(ii) मध्यकता अधिनियम, 2021 की धारा 3 के खंड (झ) के अधीन यथापरिभाषित मध्यकता सेवा प्रदाता ।

(3) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकारी या मध्यकता सेवा प्रदाता, उपधारा (1) के अधीन वादी द्वारा किए गए आवेदन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर मध्यकता की प्रक्रिया पूर्ण करेगा :

परन्तु मध्यकता की अवधि पक्षकारों की सहमति से छह मास की और अवधि के लिए विस्तारित की जा सकेगी ।

परन्तु यह और कि वह अवधि जिसके दौरान पक्षकारों ने मुकदमा-पूर्व मध्यकता हेतु व्यतीत की, परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के अधीन परिसीमा के प्रयोजनों के लिए संगणित नहीं की जाएगी ।

(4) यदि वाणिज्यिक विवाद के पक्षकार समझौता करते हैं, तो उसे लेखबद्ध किया जाएगा तथा पक्षकारों और मध्यक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(5) इस धारा के अधीन किया गया मध्यक समझौता करार, मध्यकता अधिनियम, 2021 की धारा 28 और धारा 29 के उपबंधों के अनुसार व्यौहार किया जाएगा ।"।

(ख) धारा 21क में, उपधारा (2) के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) धारा 12क की उपधारा (1) के अधीन मुकदमा-पूर्व मध्यकता की रीति और प्रक्रिया ;"।

दसवीं अनुसूची

(धारा 65 देखिए)

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) में,—

(क) धारा 2 में, खंड (25) और खंड (26) का लोप किया जाएगा ;

(ख) धारा 37 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"37. **मध्यकता के प्रतिनिर्देश** – यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर पक्षकारों द्वारा आवेदन करने पर, मध्यकता अधिनियम, 2021 के अधीन मध्यकता द्वारा समझौते हेतु विवादों को निर्दिष्ट करेगा ।

37क. **मध्यकता के माध्यम से समझौता**--(1) मध्यकता के अनुसरण में, उपभोक्ता विवाद में अंतर्वलित सभी मुद्दों के संबंध में या केवल कुछ मुद्दों के संबंध में, यदि पक्षकारों के बीच करार होता है, तो ऐसे करार के निबंधन तदनुसार लेखबद्ध किए जाएंगे तथा विवाद के पक्षकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

(2) मध्यक समझौते की समझौता रिपोर्ट तैयार करेगा तथा ऐसी रिपोर्ट के साथ हस्ताक्षरित करार संबंधित आयोग को अग्रेषित करेगा ।

(3) जहां विनिर्दिष्ट समय के भीतर पक्षकारों के बीच कोई करार नहीं होता है या मध्यक की यह राय है कि समझौता संभव नहीं है, तो वह अपनी रिपोर्ट तद्नुसार तैयार करेगा और उसे संबंधित आयोग को प्रस्तुत करेगा ।

37ख. समझौता अभिलिखित करना और आदेश पारित करना—(1) यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग समझौता रिपोर्ट की प्राप्ति के सात दिन के भीतर उपभोक्ता विवाद के ऐसे समझौते को अभिलिखित करते हुए उपयुक्त आदेश पारित करेगा तथा तदनुसार मामले का निपटारा करेगा ।

(2) जहां उपभोक्ता विवाद केवल भागतः समझौता किया जाता है तो, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग उन मुद्दों के समझौते को अभिलिखित करेगा, जो इस प्रकार समझौता किए गए हैं तथा ऐसे उपभोक्ता विवाद में अंतर्वलित अन्य मुद्दों की सुनवाई जारी रखेगा ।

(3) जहां उपभोक्ता विवाद मध्यकता द्वारा नहीं सुलझाया जा सका वहां, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग ऐसे उपभोक्ता विवाद में अंतर्वलित सभी मुद्दों की सुनवाई जारी रखेंगे ।

(ग) धारा 38 की उपधारा (1) में, "या मध्यकता द्वारा समझौता की असफलता पर मध्यकता के लिए निर्दिष्ट मामले के संबंध में" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(घ) धारा 41 में, तीसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ङ) अध्याय 5 का लोप किया जाएगा ;

1610RS—10

(च) धारा 101 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (द) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (यच) का लोप किया जाएगा ;

(छ) धारा 102 की उपधारा (2) के खंड (त) का लोप किया जाएगा ;

(ज) धारा 103 की उपधारा (2) के खंड (ग) से खंड (ज) का लोप किया जाएगा ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

एक प्रभावी विवाद समाधान प्रक्रिया का देश की अर्थव्यवस्था और देश में कारबार करने में महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, जिससे द्वारा नागरिकों के लिए जीवनयापन में सरलता, न्याय तक पहुंच और कानून के शासन का संवर्धन होता है । तेजी से परिवर्तित होता हुआ समाज तथा विभिन्न क्षेत्रों में हो रही प्रगति, आर्थिक, औद्योगिक या वित्तीय क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, ये पक्षकारों के बीच विवाद के समाधान की उसी के अनुरूप तेजी से समाधान की मांग करती है, जो वर्तमान में समय को खर्च करने वाला है । अतः वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) को, अन्य बातों के साथ, सांस्थानिक मध्यकता द्वारा और संवर्धित करने की आवश्यकता है । वैकल्पिक विवाद समाधान मध्यकता तंत्र का यद्यपि अनेक विद्यमान विधियों में वर्णन होता है किंतु आज की तारीख तक मध्यकता के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को शासित करने वाली कोई समग्र विधि नहीं है ।

2. मध्यकता का परिणाम सिविल, वाणिज्यिक, कुटुंब और वैवाहिक विषयों में विवादों के सौहार्दपूर्ण रीति से समाधान के रूप में होता है और यह सामूहिक अभिगम को प्रश्रय देता है तथा न्यायालयों पर भार को कम करता है और विवादकर्ताओं के बीच संबंध को परिरक्षित करता है । इसलिए समग्र मध्यकता विधि बनाने और आनलाइन मध्यकता का उपबंध करने से सभी पणधारियों के हितों की विवादों के समाधान के लिए प्रभावी वैकल्पिक तंत्र द्वारा पूर्ति हो सकेगी ।

3. मध्यकता के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को कवर करते हुए मध्यकता को अन्य बातों के साथ एडीआर के एक अधिमानी ढंग के रूप में निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए है—

(i) "माध्यस्थम्" और "सुलह" पदों को आपस में परिवर्तित करते हुए इस्तेमाल करने के अंतरराष्ट्रीय व्यवहार के अनुसार मध्यकता में माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के भाग 3 के अधीन सुलह को सम्मिलित करना ;

(ii) पक्षकारों द्वारा यथा उपबंधित न्यायालय या अधिकरण में जाने से पूर्व सिविल या वाणिज्यिक विवाद के मामलों में मुकदमेबाजी पूर्व अनिवार्य मध्यकता ;

(iii) आनलाइन मध्यकता का संचालन ;

(iv) मामले जो पहली अनुसूची के अधीन मध्यकता के लिए उपयुक्त नहीं हैं, की एक उपदर्शक सूची ;

(v) मध्यकता, जो किसी न्यायालय या सक्षम अधिकारिता वाले अधिकरण की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर की जाएगी, सिवाय तब जब पक्षकार अन्यथा या आनलाइन ढंग से मध्यकता करने के लिए तैयार न हो ;

(vi) मध्यकता प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक सौ अस्सी दिन की कालावधि, जो पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से अधिकतम एक सौ अस्सी दिन की और अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है ;

(vii) मध्यकता के परिणामस्वरूप मध्यकता समझौता करार, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के अनुसार उसी रीति में अंतिम और

बाध्यकर होगा, मानो कि वह किसी न्यायालय का निर्णय या डिक्री था ;

(viii) भारतीय मध्यकता परिषद् की स्थापना जिसके उद्देश्य अन्य बातों के साथ मध्यकता का संवर्धन करना और भारत को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मध्यकता के एक सुदृढ़ केन्द्र के रूप में विकसित करना, मध्यकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए विनियम बनाना, मध्यकता सेवा प्रदाताओं का श्रेणीकरण करना, मध्यकता संस्थानों और मध्यकता सेवा प्रदाताओं की मान्यता के लिए मानदंड विनिर्दिष्ट करना, मध्यकता के क्षेत्र में कार्यशालाएं और पाठ्यक्रम आदि आयोजित करना है ; और

(ix) ऐसे विवादों के लिए, जिनसे किसी क्षेत्र या अवस्थान के निवासियों या कुटुंबों के बीच शांति, सौहार्द और व्यवस्था के प्रभावित होने की संभावना है, के पक्षकारों की सहमति से सामुदायिक मध्यकता का संचालन करना ।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
14 दिसंबर, 2021

किरेन रीजीजू

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 1 अधिनियम के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 2 अधिनियम के लागू होने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 3 विधेयक में प्रयुक्त विभिन्न पदों की परिभाषा का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 4 मध्यकता का उपबंध करने से संबंधित है, जो एक ऐसी प्रक्रिया होगी, जहां पक्षकार, मध्यस्थ के रूप में निर्दिष्ट किसी तीसरे पक्षकार का अनुरोध या विवाद के समाधान के लिए उनके प्रयासों में सहायता करने के लिए मध्यकता सेवा प्रदाता का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 5 यह उपबंध करता है कि मध्यकता करार पक्षकारों के द्वारा या उनके बीच लिखित में होगा और उनके माध्यम से कोई दावा सभी या कतिपय विवादों को मध्यकता के लिए भेजने हेतु, जो पैदा हुए हों या पक्षकारों के बीच पैदा हो सकेंगे । यह और उपबंध करता है कि मध्यकता करार संविदा या एक पृथक् करार के रूप में मध्यकता खंड के रूप में हो सकेगा ।

विधेयक का खंड 6 यह उपबंध करता है कि जहां कोई मध्यकता करार विद्यमान है या नहीं, कोई पक्षकार किसी न्यायालय में सिविल या वाणिज्यिक प्रकृति के किसी वाद या कार्यवाही को फाइल करने से पूर्व अधिनियम के उपबंधों के अधीन मुकदमा-पूर्व मध्यकता के द्वारा विवादों के निपटारे के लिए कदम उठाएगा । इसके अतिरिक्त यह उपबंध किया जाता है कि विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के विषय में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 7 यह उपबंध करता है कि विवादों या विषयों की इंगित सूची सिविल कार्यवाहियों से संबंधित या उद्भूत कुछ शमनीय अपराधों या वैवाहिक अपराधों के सिवाय मध्यकता के लिए विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती है , जो न्यायालय द्वारा मध्यकता के लिए निर्दिष्ट की जा सकती है यदि उसे समुचित समझा जाए । इन मामलों में किया गया समझौता न्यायालय के निर्णय या डिक्री को प्रभावित नहीं करेगा ।

विधेयक का खंड 8 यह उपबंध करता है कि यदि आपवादिक परिस्थितियां विद्यमान हैं, तो कोई पक्षकार इस भाग के अधीन मध्यकता कार्रवाई के प्रारंभ के या उसके चालू रहने के दौरान के पूर्व तुरंत अंतरिम उपाय के लिए सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष समुचित कार्यवाही फाइल कर सकेगा ।

विधेयक का खंड 9 यह उपबंध करता है कि न्यायालय या अधिकरण, लम्बित कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर, मध्यकता के लिए पक्षकारों को निर्दिष्ट कर सकेगा यदि उन्हें इसके लिए निवेदन किया जाता है ।

विधेयक का खंड 10 मध्यक की नियुक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 11 उपबंध करता है कि मध्यकता सेवा प्रदाता मध्यक नियुक्त करते समय विवाद को सुलझाने के लिए उसकी उपयुक्तता तथा पक्षकारों की अधिमानता पर विचार करेगा ।

विधेयक का खंड 12 यह उपबंध करता है कि जब किसी व्यक्ति को मध्यक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह पक्षकारों को लिखित में किन्हीं परिस्थितियों या संभावित परिस्थितियों, चाहे व्यक्तिगत हों, वृत्तिक हों या वित्तीय हों जो हित के टकराव का गठन कर सकती हों या जिनसे मध्यकता प्रक्रिया के संचालन में मध्यक की स्वतंत्रता या निष्पक्षता पर न्यायानुमोध्य संदेह प्रकट होने की संभावना हो, प्रकट करेगा ।

विधेयक का खंड 13 मध्यक के आदेश की समाप्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 14 मध्यक को बदलने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 15 यह उपबंध करता है कि इस अधिनियम के अधीन मध्यकता सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय या अधिकरण की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर होगी, यदि पक्षकार उक्त क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर मध्यकता करने या आनलाइन मध्यकता करने के लिए सहमत न हों ।

विधेयक का खंड 16 यह उपबंध करता है कि किसी विशिष्ट विवाद के संबंध में मध्यक कार्यवाहियां उस तारीख को जिसको पूर्व मध्यकता करार के मामले में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को नोटिस जारी करता है तथा अन्य मामलों में उस दिन को जिसको पक्षकार अपनी पसंद का मध्यक नियुक्त करने के लिए सहमत हो गए हों अथवा उस दिन को जब एक पक्षकार मध्यकता के लिए मध्यकता सेवा प्रदाता को आवेदन करता है, प्रारम्भ हुई मानी जाएंगी ।

विधेयक का खंड 17 यह उपबंध करता है कि मध्यक पक्षकारों को उनके विवाद के सौहार्दपूर्ण समझौते तक पहुंचने के उनके प्रयास में स्वतंत्र, उदासीन और निष्पक्ष रीति में सहायता करेगा । यह और उपबंध करता है कि मध्यक सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 द्वारा बाध्य नहीं होगा ।

विधेयक का खंड 18 यह उपबंध करने के लिए है कि मध्यक, पक्षकारों द्वारा विवाद (विवादों) के स्वेच्छिक समझौते को सुकर बनाने के लिए प्रयास करेगा और उनके द्वारा जहां तक वे सहमत है, विचार को एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को संसुचित करेगा, मुद्दों की पहचान करने, भ्रान्ति को कम करने, पूर्विकता को स्पष्ट करने, समझौते के क्षेत्र की खोज करने, विवाद(विवादों) के समाधान के प्रयास में विकल्पों को बनाने में उनकी सहायता करेगा ।

विधेयक का खंड 19 यह उपबंध करने के लिए है कि मध्यक किसी विवाद के संबंध में जो माध्यस्थम् कार्यवाहियों के अध्यधीन है, किसी माध्यस्थम् या न्यायिक कार्यवाही में मध्यस्थ या किसी पक्षकार के प्रतिनिधि अथवा परामर्शी के रूप में कार्य नहीं करेगा और किसी माध्यस्थम् या न्यायिक कार्यवाही में पक्षकारों द्वारा साक्षी के रूप में पेश नहीं किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 20 यह उपबंध करने के लिए है कि पक्षकार पहले दो माध्यस्थम् सत्रों के पश्चात् किसी भी समय माध्यस्थम् को वापस ले सकेंगे । तथापि, न्यायालय या अधिकरण पश्चात्वर्ती मुकदमेबाजी पर व्यय अधिरोपित कर सकेंगे, यदि पक्षकार युक्तियुक्त कारण के बिना पहले दो माध्यस्थम् सत्रों में उपस्थित होने में विफल रहे हों जिससे माध्यस्थम् विफल हो गई हो ।

विधेयक का खंड 21 यह उपबंध करने के लिए है कि इस अधिनियम के अधीन मध्यकता, मध्यकता प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पूरी

की जाएगी और मध्यकता के लिए अवधि पक्षकारों की सहमति से नब्बे दिन की और अवधि के लिए विस्तारित की जा सकेगी ।

विधेयक का खंड 22 यह उपबंध करने के लिए है कि मध्यकता समझौता करार से मध्यकता के जिसके अंतर्गत ऑनलाईन मध्यकता भी है, परिणामस्वरूप कुछ या सभी पक्षकारों के बीच लिखित में करार, ऐसे पक्षकारों के बीच कुछ या सभी विवादों का सुलझाना और मध्यक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना अभिप्रेत है और सम्मिलित है । यह और भी उपबंध करता है कि न्यायालय उपाबद्ध मध्यकता केंद्रों में या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 21 और धारा 22ङ के अधीन किए गए समझौते से भिन्न पक्षकारों के बीच किया गया कोई मध्यकता समझौता करार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित प्राधिकरणों के पास 180 दिन के भीतर रजिस्ट्रीकृत होगा । तथापि, रजिस्ट्रीकरण उस समय तक आज्ञापक नहीं होगा जब तक परिषद् द्वारा रजिस्ट्रीकरण की रीति विनिर्दिष्ट करने वाले विनियम नहीं बनाए जाते है ।

विधेयक का खंड 23 यह उपबंध करने के लिए है कि मध्यक, मध्यकता सेवा प्रदाता, मध्यकता के पक्षकार और प्रतिभागी मध्यकता कार्यवाहियों से संबंधित सूचना और संसूचना गुप्त रखेंगे और मध्यकता का कोई पक्षकार न्यायालय या अधिकरण के समक्ष जिसके अंतर्गत माध्यस्थम् अधिकरण भी है, किन्हीं कार्यवाहियों में ऐसी सूचना और संसूचना पर निर्भर नहीं करेगा और साक्ष्य के रूप में पुरःस्थापित नहीं करेगा । तथापि, गोपनीयता ऐसे मध्यकता करार निपटारे पर लागू नहीं होगी जहां ऐसा प्रकटन रजिस्ट्रीकरण, कार्यान्वयन, प्रवर्तन और चुनौती के प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

विधेयक का खंड 24 मध्यकता के प्रयोजनों में लगे हुए विशेषज्ञों और सलाहकार तथा मध्यकता के प्रशासन में अंतवर्लित व्यक्तियों सहित प्रतिभागियों को प्रकटन से उन्मुक्ति का उपबंध करने के लिए है, जो चाहे किसी भी वर्णन, मध्यकता में कोई संसूचना या किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था या मध्यकता के दौरान पक्षकारों की प्रकृति या आचरण की हो, जिसके अंतर्गत बातचीत या प्रस्ताव अथवा प्रति प्रस्ताव की अंतर्वस्तु, जिसके वे माध्यस्थम् के दौरान परिचित हो गए हों, भी है ।

विधेयक का खंड 25 कतिपय परिस्थितियों में माध्यस्थम् कार्यवाहियों के पर्यवसान का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 26 यह उपबंध करने के लिए है कि न्यायालय उपाबंध मध्यकता जिसके अंतर्गत न्यायालय उपाबद्ध मध्यकता केन्द्र में मुकदमा-पूर्व मध्यकता भी है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के किसी भी नाम से ज्ञात व्यवसाय निदेशों या नियमों के अनुसार संचालित की जाएगी । यह भी कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय मध्यकों का पैनल बनाने के लिए मध्यकता समिति का गठन करेंगे जो सभी न्यायालयों में मध्यकता का संचालन करेंगे ।

विधेयक का खंड 27 यह उपबंध करने के लिए है कि प्रस्तावित अधिनियम के उपबंध, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत द्वारा संचालित कार्रवाइयों पर लागू नहीं होंगे ।

विधेयक का खंड 28 यह उपबंध करने के लिए है कि मध्यकता के परिणामस्वरूप मध्यकता निपटारा करार अंतिम और बाध्यकारी होगा तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसे ही प्रवर्तनीय होगा जैसे कि वह न्यायालय

द्वारा पारित निर्णय या डिक्री था ।

विधेयक का खंड 29 यह उपबंध करने के लिए है कि मध्यकता निपटारा करार को कपट, भ्रष्टाचार, प्रतिरूपण के आधार पर या जहां मध्यकता ऐसे विवाद या मामले में संचालित की जाती है जो मध्यकता के लिए उपयुक्त नहीं है, चुनौती दी जा सकेगी और ऐसी चुनौती पक्षकारों द्वारा मध्यकता निपटारा करार की प्रति प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर दी जा सकेगी ।

विधेयक का खंड 30 जब तक सभी पक्षकार सहमत न हों, मध्यकता के सभी खर्च, जिसके अंतर्गत मध्यक की फीस और मध्यकता सेवा प्रदाता के प्रभार भी है, सभी पक्षकारों द्वारा समान रूप से वहन किए जाएंगे, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 31 ऐसी अवधि जिसके दौरान सभी पक्षकारों द्वारा मध्यकता की गई है और किन्ही कार्यवाहियों के लिए विनिर्दिष्ट परिसीमा की अवधि की गणना अपवर्जित की जाएगी, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 32 आनलाइन मध्यकता जिसके अंतर्गत मुकदमा पूर्व-मध्यकता भी है, मध्यकता किसी भी स्तर पर पक्षकारों की लिखित सहमति से संचालित की जाएगी और कि ऐसी आनलाइन मध्यकता परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में संचालित की जाएगी, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 33 भारतीय मध्यकता परिषद् की स्थापना का जो एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे जंगम और स्थावर दोनों ही प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जाएगा, के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 34 परिषद् की संरचना और अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य और अल्पकालिक सदस्य की नियुक्ति और अर्हताएं, कार्यकाल, वेतन और भत्ते आदि के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 35 किसी रिक्ति, नियुक्ति में त्रुटि, या अनियमितता के कारण परिषद् की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 36 अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य या अल्पकालिक सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित लिखित सूचना द्वारा त्यागपत्र की प्रक्रिया के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 37 उन परिस्थितियों को विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें केन्द्रीय सरकार, परिषद् के अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य को हटा सकती है, को विनिर्दिष्ट करता है ।

विधेयक का खंड 38 परिषद्, अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए विशेषज्ञों की समितियों के गठन जैसा वह आवश्यक समझे, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 39 परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसी तरह परिषद् के सचिवालय जो ऐसी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी को समाविष्ट करेगी जैसा परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 40 परिषद् के कर्त्तव्यों और कृत्यों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 41 परिषद् द्वारा मध्यकता सेवा प्रदाता को मान्यता देने और श्रेणीकरण करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 42 मध्यकता सेवा प्रदाता द्वारा कृत्यों के निर्वहन का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 43 परिषद् द्वारा संस्थानों को मान्यता देने और ऐसे मध्यकता संस्थानों जैसा परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 44 किसी क्षेत्र या स्थान के निवासियों या कुटुंबों के मध्य शांति, सौहार्द और प्रशांति पर प्रभाव डालने वाले किसी विवाद का निपटारा, विवाद के पक्षकारों की पूर्व सहमति से सामुदायिक मध्यकता के माध्यम से किए जाने की और संबंद्ध प्राधिकरण या जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट सामुदायिक मध्यकता के संचालन के लिए तीन मध्यकों के पैनल के गठन को सशक्त करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 45 तीन सामुदायिक मध्यकों का पैनल सामुदायिक मध्यकता विवाद के समाधान के लिए समुचित प्रक्रिया के अनुसार संचालित किया जाएगा, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 46 मध्यकता का संवर्धन करने, सुकर बनाने और प्रोत्साहित करने के प्रयोजनों के लिए मध्यकता निधि नामक निधि की स्थापना की जाएगी और परिषद् निधि के प्रशासन को सशक्त है, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 47 परिषद् का उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा, जिसके अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से जो नियमों द्वारा बनाई जाए, ऐसे प्ररुप और रीति में तुलनपत्र सहित लेखाओं का एक वार्षिक विवरण सम्मिलित है, का उपबंध करता है । इसके अतिरिक्त परिषद् के लेखाओं की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा की जाएगी का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 48 नीति के प्रश्नों पर परिषद् को निदेश जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है जो परिषद् पर बाध्यकारी होने, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 49 केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी मामले में मध्यस्थता या सुलह के माध्यम से जहां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या इसका कोई इकाई या अभिकरण एक पक्षकार हो, किसी विवाद के समाधान के लिए कोई स्कीम बनाने या मार्गदर्शन करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 50 कोई विवाद, जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक विवाद है, जिसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उसका कोई भी अस्तित्व या अभिकरण, लोक निकाय, निगम और स्थानीय निकाय एक पक्षकार है, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित सहमति अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही हस्ताक्षर किए जाएंगे, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 51 सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उस सरकार के किसी अधिकारी, परिषद् के अध्यक्ष, सदस्य या अधिकारी या मध्यक, मध्यक संस्थानों, मध्यक सेवा प्रदाताओं, मध्यकों के विरुद्ध नहीं होगी, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 52 इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वयित करने के लिए

नियम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 53 परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना द्वारा विनियम बनाने के लिए सशक्त है और यह पुनः विनियम इसके अधीन बनाए गए नियमों और अधिनियम के उपबंधों के साथ संगत होने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 54, खंड 56 के उपखंड (2) और खंड 7 के उपखंड (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम और परिषद् द्वारा बनाए गए प्रत्येक विनियम को इनके बनने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदनों के समक्ष रखा जाएगा, का उपबंध करता है

विधेयक का खंड 55 यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 56 यह उपबंध करने के लिए है कि अधिनियम के उपबंधों का सिवाय उन विधियों के, जो दूसरी अनुसूची में वर्णित हैं, अन्य विधियों में अंतर्विष्ट मध्यकता या सुलह पर अध्यारोही प्रभाव होगा । यह और उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची को संशोधित कर सकेगी ।

विधेयक का खंड 57 इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व आरंभ की गई किसी मध्यकता या सुलह के संबंध में लागू नहीं होगा, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 58 भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित होने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 59 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित होने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 60 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की पांचवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित होने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 61 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित होने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 62 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित होने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 63 कंपनी अधिनियम, 2013 की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित होने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 64 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की नवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित होने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 65 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित होने का उपबंध करता है ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 33 का उपखंड (1) भारतीय मध्यकता परिषद् की स्थापना का उपबंध करता है ।

2. विधेयक के खंड 34 का उपखंड (1) भारतीय मध्यकता परिषद् की संरचना का उपबंध करता है ।

3. विधेयक के खंड 34 के उपखंड (3) और उपखंड (4) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य के निबंधनों और शर्तों, वेतन तथा संदेय भत्तों का उपबंध करता है ।

4. विधेयक का खंड 38 मध्यकता परिषद् द्वारा ऐसे विशेषज्ञों और ऐसी समितियों के गठन का उपबंध करता है जैसा कि मध्यकता परिषद् द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझा जाए ।

5. विधेयक के खंड 39 का उपखंड (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता है जो कि परिषद् के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।

6. विधेयक के खंड 39 का उपखंड (2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अर्हता, नियुक्ति और अन्य निबंधनों और शर्तों का उपबंध करता है ।

7. विधेयक के खंड 39 का उपखंड (4) परिषद् के सचिवालय के लिए उपबंध करता है जो कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर बनेगा । इसके अतिरिक्त उपधारा (5) परिषद् के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की अर्हता, नियुक्ति और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का उपबंध करती है ।

8. विधेयक का खंड 46 "मध्यकता निधि" नामक निधि के अनुरक्षण का उपबंध करती है जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन ; मध्यकता सेवा प्रदाता, मध्यकता संस्थानों या निकायों या व्यक्तियों से प्राप्त सभी फीसों और अन्य प्रभारों ; संदान, अनुदान, अभिदाय और अन्य स्रोतों से आय के रूप में परिषद् द्वारा प्राप्त सभी धनराशियों ; निधि के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुदान ; निधि में अभिदाय के रूप में व्यक्तियों द्वारा जमा की गई रकमें ; निधि में किसी अन्य स्रोत से प्राप्त रकमें ; पूर्वोक्त पर ब्याज या निधि से किए गए विनिधान से प्राप्त अन्य आय पर ब्याज का प्रत्यय किया जाएगा ।

9. विधेयक के खंड 46 का उपखंड (3) उपबंध करता है कि निधि का उपयोग परिषद् के अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अधिकारियों और कर्मचारियों तथा अन्य व्ययों को चुकाने के लिए किया जाएगा जिसके अंतर्गत परिषद् द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का उपयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने में उपगत व्यय भी है ।

10. यह प्राक्कलन किया गया है कि प्रस्तावित विधि जब पारित की जाएगी तो, परिषद् की स्थापना के प्रथम वर्ष में इक्कीस करोड़, एक लाख, पंद्रह हजार छत्तीस रुपए का व्यय होगा और दूसरे वर्ष में बीस करोड़, निन्यानवें लाख, नौ हजार चालीस रुपए और तीसरे वर्ष में तेईस करोड़ रुपए, सोलह लाख, साठ हजार, एक सौ

चौरानवे रुपए का प्रारंभिक व्यय होगा जिसके अंतर्गत अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य और उसके अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा अन्य पारिश्रमिक सम्मिलित हैं ।

11. विधेयक यदि अधिनियमित किया जाता है और प्रचालन में लाया जाता है तो इस पर भारत की समेकित निधि से किसी अन्य प्रकृति का आवृत्ति और गैर-आवृत्ति व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 7 का उपखंड (2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची के संशोधन का उपबंध करता है ।

2. विधेयक का खंड 33 भारतीय मध्यकता परिषद् की स्थापना का उपबंध करता है ।

3. विधेयक का खंड 52 केन्द्रीय सरकार को उन विषयों की बाबत, जो अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के निबंधनों और शर्तों तथा उनको संदेय वेतन और भत्तों से संबंधित है ; अंशकालिक सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्तों ; वार्षिक लेखाओं का प्ररूप और रीति जिसके अंतर्गत तुलनपत्र और कोई अन्य विषय, जो विहित किया गया है या विहित किया जाए, के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

4. विधेयक का खंड 53 भारतीय मध्यकता परिषद् को, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, जो इस अधिनियम के उपबंधों को पूरा करने के लिए अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों से संगत नियम बनाने के लिए सशक्त करता है, को अन्य बातों के साथ, निर्रहता, अनुभव और विदेशी राष्ट्रीयता के मध्यकों का प्रत्ययन ; मध्यकता किए गए समझौता करार के रजिस्ट्रीकरण की रीति ; मध्यकता किए गए समझौता करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस ; आनलाइन मध्यकता संचालित किए जाने की प्रक्रिया की रीति ; विशेषज्ञों और विशेषज्ञों की समिति के निबंधन और शर्तें ; मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अर्हताएं, नियुक्ति और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ; मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किए जाने वाले कृत्य और कर्तव्य ; परिषद् के सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या ; परिषद् के कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति तथा अन्य निबंधन और शर्तें ; मध्यकों के रजिस्ट्रीकरण की शर्तें तथा ऐसे रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, प्रतिसंहरण, निलंबन या रद्द करना ; मध्यकों के व्यवसायिक और नैतिक आचरण के मानक ; मध्यक संस्थानों और मध्यक सेवा प्रदाताओं की मान्यता के लिए मानदंड ; मध्यकता में किए गए समझौता करार के इलैक्ट्रानिकी निक्षेपागार के अनुरक्षण की रीति ; मध्यकता सेवा प्रदाता के श्रेणीकरण की रीति ; मध्यकता सेवा प्रदाता के कृत्य ; मध्यकता संस्थानों के कर्तव्य और उनके द्वारा किए जाने वाले कृत्य ; कोई अन्य विषय जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा किए जाने वाले कृत्यों के निष्पादन के लिए उपबंध आवश्यक हों ।

5. विधेयक का खंड 56 का उपखंड (2) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना द्वारा दूसरी अनुसूची को संशोधित करने के लिए उपबंध करता है ।

6. वे विषय जिनके संबंध में पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन अधिसूचना, नियम और विनियम बनाए जाने हैं, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय है और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 5) से उद्धरण

* * * * *

विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार शून्य हैं ।

28. हर करार, –

(क) जिससे उसका कोई पक्षकार किसी संविदा के अधीन या उसके बारे में अपने अधिकारों को मामूली अधिकरणों में प्रायिक विधिक कार्यवाहियों द्वारा प्रवर्तित कराने से आत्यंतिकतः अवरुद्ध किया जाता है या जो उस समय को, जिसके भीतर वह अपने अधिकारों को इस प्रकार प्रवर्तित करा सकता है, परिसीमित कर देता है; या

(ख) जो किसी विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर किसी संविदा के अधीन या उसके बारे में उसके किसी पक्षकार के अधिकारों का निर्वापित कर देता है या उसके किसी पक्षकार को किसी दायित्व से उन्मोचित कर देता है, जिससे कि कोई पक्षकार अपने अधिकारों को प्रवर्तित कराने से अवरुद्ध हो जाए,

उस विस्तार तक शून्य है ।

अपवाद 1—जो विवाद पैदा हो उसको माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने वाली संविदा की व्यावृत्ति—यह धारा उस संविदा को अवैध नहीं कर देगी जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति करार करें कि किसी विषय के या विषयों के किसी वर्ग के बारे में, जो विवाद उनके बीच पैदा हो वह माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा और कि ऐसे निर्दिष्ट विवाद के बारे में केवल वह रकम वसूलीय होगी जो ऐसे माध्यस्थम् में अधिनिर्णीत हो ।

अपवाद 2—जो प्रश्न पहले ही पैदा हो चुके हैं उन्हें निर्देशित करने की संविदा की व्यावृत्ति—और न यह धारा किसी ऐसी लिखित संविदा को अवैध कर देगी जिससे दो या अधिक व्यक्ति किसी प्रश्न को, जो उनके बीच पहले ही पैदा हो चुके हों, माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार करे, या माध्यस्थम् विषयक निर्देशों के बारे में किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध पर प्रभाव डालेगी ।

* * * * *

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 5) से उद्धरण

* * * * *

भाग 5

विशेष कार्यवाहियां

माध्यस्थम्

न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा ।

89 (1) जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि किसी समझौते के ऐसे तत्त्व विद्यमान हैं ,जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते हैं वहां न्यायालय समझौते के निबंधन बनाएगा और उन्हें पक्षकारों को उनकी टीका-टिप्पणी के लिए देगा और पक्षकारों की टीका-टिप्पणी प्राप्त करने के पश्चात् न्यायालय संभव समझौते के निबंधन पुनः बना सकेगा और उन्हें :—

(क) माध्यस्थम् ;

(ख) सुलह ;

(ग) न्यायिक समझौते जिसके अन्तर्गत लोक अदालत के माध्यम से समझौता भी है ; या

(घ) बीच-बचाव के लिए,

निर्दिष्ट करेगा ।

(2) जहां कोई विवाद—

(क) माध्यस्थम् या सुलह के लिए निर्दिष्ट किया गया है वहां माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो माध्यस्थम् या सुलह के लिए कार्यवाहियां उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन समझौते के लिए निर्दिष्ट की गई थीं ; 1996 का 26

(ख) लोक अदालत को निर्दिष्ट किया गया है, वहां न्यायालय उसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 20 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार लोक अदालत को निर्दिष्ट करेगा और उस अधिनियम के सभी अन्य उपबंध लोक अदालत को इस प्रकार निर्दिष्ट किए गए विवाद के संबंध में लागू होंगे ; 1987 का 39

(ग) न्यायिक समझौता के लिए निर्दिष्ट किया गया है, वहां न्यायालय उसे किसी उपयुक्त संस्था या व्यक्ति को निर्दिष्ट करेगा और ऐसी संस्था या व्यक्ति को लोक अदालत समझा जाएगा तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के सभी उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो वह विवाद लोक अदालत को उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्दिष्ट किया गया था ; 1987 का 39

(घ) बीच-बचाव के लिए निर्दिष्ट किया गया है, वहां न्यायालय पक्षकारों के बीच समझौता कराएगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाए ।

* * * * *

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्यांक 39) से उद्धरण

* * * * *

केन्द्रीय प्राधिकरण के कृत्य ।

4. केन्द्रीय प्राधिकरण, निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

* * * * *

(च) बातचीत, माध्यस्थम् और सुलह के द्वारा विवादों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित करना ;

* * * * *

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 26) से उद्धरण

* * * * *

परिषद् के कर्तव्य और कृत्य ।

43घ. (1) परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह माध्यस्थम्, मध्यकता, सुलह या किसी अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन और उसका प्रोत्साहन करने के लिए ऐसे सभी उपाय करे, जो आवश्यक हों और उस प्रयोजन के लिए नीति

की विरचना तथा स्थापन, प्रचालन और माध्यस्थम् से संबंधित सभी विषयों के संबंध में एकसमान वृत्तिक मानक बनाए रखने के लिए दिशानिर्देशों की विरचना करे ।

(2) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निष्पादन और कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए परिषद्,–

* * * * *

(ङ) माध्यस्थम् और सुलह के समाधानप्रद स्तर को सुनिश्चित करने के लिए सन्नियमों की विरचना, उनका पुनर्विलोकन और उन्हें अद्यतन कर सकेगी ;

(च) भारत को घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् और सुलह का एक उत्तम केन्द्र बनाने हेतु एक मंच का सृजन करने के लिए अपनाए जाने वाले अभिमतों और तकनीकों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य कर सकेगी;

* * * * *

(झ) माध्यस्थम् और सुलह से संबंधित विभिन्न विषयों पर परीक्षा और प्रशिक्षण का संचालन कर सकेगी और उनसे संबंधित प्रमाणपत्रों को प्रदान कर सकेगी;

* * * * *

भाग 3

सुलह

लागू होना और विस्तार ।

61. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय और जब तक कि पक्षकारों ने अन्यथा करार न किया हो ,यह भाग विधिक संबंध से ,जो चाहे संविदाजात हो या नहीं ,उद्भूत विवादों के सुलह की और उससे संबंधित सभी कार्यवाहियों को लागू होगा ।

(2) यह भाग वहां लागू नहीं होगा जहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के आधार पर कतिपय विवादों को सुलह के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है ।

सुलह कार्यवाहियों का आरंभ ।

62. (1) सुलह के लिए शुरूआत करने वाला पक्षकार इस भाग के अधीन विवाद का विषय संक्षेप में परिलक्षित करते हुए सुलह के लिए लिखित आमंत्रण ,दूसरे पक्षकार को भेजेगा ।

(2) सुलह कार्यवाहियां तभी प्रारम्भ होंगी जब दूसरा पक्षकार लिखित में सुलह के लिए आमंत्रण स्वीकार कर लेगा ।

(3) यदि दूसरा पक्षकार आमंत्रण को नामंजूर करता है तो कोई सुलह कार्यवाही नहीं होगी ।

(4) यदि सुलह की शुरूआत करने वाला पक्षकार ,उस तारीख से ,जिसको वह आमंत्रण भेजता है ,तीस दिन के भीतर या ऐसी अन्य समयावधि के भीतर ,जो आमंत्रण में विनिर्दिष्ट की जाए ,कोई उत्तर प्राप्त नहीं करता है तो वह उसे सुलह के आमंत्रण को अस्वीकार करने के रूप में मान सकेगा और यदि वह ऐसा चयन करता है तो वह दूसरे पक्षकार को तदनुसार लिखित में सूचित करेगा ।

सुलहकर्ताओं की संख्या ।

63 (1) एक सुलहकर्ता होगा ,जब तक कि पक्षकार यह करार नहीं करते हैं कि दो या तीन सुलहकर्ता हों ।

(2) जहां एक से अधिक सुलहकर्ता हैं वहां उन्हें साधारण नियम के अनुसार संयुक्त रूप से कार्य करना चाहिए ।

सुलहकर्ताओं की नियुक्ति ।

64. (1) उपधारा (2) के अधीन रहते हुए,—

(क) एक सुलहकर्ता वाली सुलह कार्यवाहियों में पक्षकार एक सुलहकर्ता के नाम पर करार कर सकेंगे ;

(ख) दो सुलहकर्ताओं वाली सुलह कार्यवाहियों में प्रत्येक पक्षकार एक सुलहकर्ता नियुक्त कर सकेगा ;

(ग) तीन सुलहकर्ताओं वाली कार्यवाहियों में प्रत्येक पक्षकार एक सुलहकर्ता नियुक्त कर सकेगा और पक्षकार तीसरे सुलहकर्ता के नाम पर करार कर सकेंगे, जो पीठासीन सुलहकर्ता के रूप में कार्य करेगा ।

(2) पक्षकार, सुलहकर्ताओं की नियुक्ति के संबंध में किसी उचित संस्था या व्यक्ति की सहायता के लिए कह सकेंगे और विशेष रूप से,—

(क) कोई पक्षकार, ऐसी किसी संस्था या व्यक्ति से सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए उचित व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करने के लिए अनुरोध कर सकेगा ; या

(ख) पक्षकार, किसी ऐसी संस्था या व्यक्ति द्वारा सीधे ही एक या अधिक सुलहकर्ताओं की नियुक्ति करने के लिए करार कर सकेंगे :

परन्तु सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने या नियुक्ति करने में संस्था या व्यक्ति, ऐसी बातों को ध्यान में रखेगा जिनसे किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष सुलहकर्ता की नियुक्ति सुनिश्चित करने की संभावना हो और एकल या तीसरे सुलहकर्ता की बाबत पक्षकारों की राष्ट्रिकताओं से भिन्न राष्ट्रिकता के किसी सुलहकर्ता की नियुक्ति करने की उपयुक्तता को भी ध्यान में रखेगा ।

सुलहकर्ता को कथनों का दिया जाना ।

65. (1) सुलहकर्ता, अपनी नियुक्ति होने पर, प्रत्येक पक्षकार से, विवाद की साधारण प्रकृति का और विवाद के प्रश्नों का वर्णन करते हुए एक संक्षिप्त लिखित कथन उसे देने के लिए अनुरोध कर सकेगा । प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ऐसे कथन की एक प्रति भेजेगा ।

(2) सुलहकर्ता, प्रत्येक पक्षकार से अपनी स्थिति और उसके समर्थन में तथ्यों और आधारों का एक और लिखित कथन उसे देने के लिए, जो ऐसे किन्हीं दस्तावेजों और अन्य साक्ष्य से अनुपूरित होगा, जिसे ऐसा पक्षकार समुचित समझे, अनुरोध कर सकेगा । पक्षकार, ऐसे कथन, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्य की एक प्रति दूसरे पक्षकार को भेजेगा ।

(3) सुलह कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर सुलहकर्ता, कोई ऐसी अतिरिक्त जानकारी देने के लिए, जो वह समुचित समझे, किसी पक्षकार से अनुरोध कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा और इस भाग की निम्नलिखित सभी धाराओं में, "सुलहकर्ता" पद, यथास्थिति, एकल सुलहकर्ता, दो या तीन सुलहकर्ताओं को लागू होगा ।

सुलहकर्ता का कतिपय अधिनियमितियों द्वारा बाध्य न होना ।

66. सुलहकर्ता ,सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 द्वारा बाध्य नहीं होगा । 1908 का 5 1872 का 1

67. (1) सुलहकर्ता, पक्षकारों की उनके विवाद के सोहार्द्रपूर्ण समझौते पर पहुंचने के उनके प्रयास में, स्वतंत्र और निष्पक्ष रीति से सहायता करेगा । सुलहकर्ता की भूमिका ।

(2) सुलहकर्ता, वस्तुनिष्ठा, औचित्य और न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगा जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, पक्षकारों के अधिकारों और बाध्यताओं, संबंधित व्यापार की प्रथाओं और विवाद की परिवर्ती परिस्थितियों का, जिनमें पक्षकारों के बीच कोई पूर्ववर्ती कारबारी व्यवहार भी है, ध्यान रखा जाएगा ।

(3) सुलहकर्ता, सुलह कार्यवाहियों का संचालन ऐसी रीति से करेगा, जो वह समुचित समझे, जिसमें मामले की परिस्थितियां, वे इच्छाएं जो पक्षकार व्यक्त करे, जिसमें किसी पक्षकार का कोई ऐसा अनुरोध भी है कि सुलहकर्ता मौखिक कथन सुने और विवाद के शीघ्र निपटारे की आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा ।

(4) सुलहकर्ता, सुलह कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर विवाद के निपटारे के लिए प्रस्ताव तैयार कर सकेगा । ऐसे प्रस्तावों का लिखित में होना आवश्यक नहीं होगा और उसके लिए कारणों के किसी कथन का साथ होना आवश्यक नहीं होगा ।

68. सुलह कार्यवाहियों का संचालन सुकर बनाने के लिए पक्षकार ,या पक्षकारों की सहमति से सुलहकर्ता ,किसी उपयुक्त संस्था या व्यक्ति द्वारा प्रशासनिक सहायता की व्यवस्था कर सकेगा । प्रशासनिक सहायता ।

69. (1) सुलहकर्ता, पक्षकारों को मिलने के लिए आमंत्रित कर सकेगा या उनमें मौखिक या लिखित रूप में संपर्क कर सकेगा । वह पक्षकारों से एक साथ या उनमें से प्रत्येक के साथ पृथक्तः मिल सकेगा या संपर्क कर सकेगा । सुलहकर्ता और पक्षकारों के बीच संपर्क ।

(2) जब तक कि पक्षकारों में उस स्थान के बारे में करार न हो जाए जहां सुलहकर्ता के साथ बैठक होगी, ऐसा स्थान सुलह कार्यवाहियों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों से परामर्श करने के पश्चात्, सुलहकर्ता द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

70. जब सुलहकर्ता किसी पक्षकार से विवाद से संबंधित तथ्यपरक जानकारी प्राप्त करता है, तब वह, दूसरे पक्षकार को उस जानकारी का सार प्रकट करेगा जिससे कि दूसरे पक्षकार को कोई ऐसा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके जिसे वह समुचित समझे : जानकारी का प्रकटीकरण ।

परन्तु जब कोई पक्षकार, इस विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन रहते हुए सुलहकर्ता को कोई जानकारी देता है कि उसे गोपनीय रखा जाए, तब सुलहकर्ता उक्त जानकारी को दूसरे पक्षकार को प्रकट नहीं करेगा ।

71. पक्षकार, सद्भावना से सुलहकर्ता से सहयोग करेंगे और विशेष रूप में लिखित सामग्री प्रस्तुत करने, साक्ष्य देने और बैठकों में सम्मिलित होने के सुलहकर्ता के अनुरोध के अनुपालन का प्रयास करेंगे । पक्षकारों का सुलहकर्ता से सहयोग ।

72. प्रत्येक पक्षकार, स्वप्रेरणा से या सुलहकर्ता के आमन्त्रण पर, विवाद के निपटारे के लिए सुझाव सुलहकर्ता को प्रस्तुत करेगा । विवादों के निपटारे के लिए पक्षकारों द्वारा सुझाव ।

73. (1) जब सुलहकर्ता को यह प्रतीत हो कि किसी समझौते के ऐसे तत्व मौजूद हैं जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते हैं, तब वह किसी संभावित समझौते के निबंधन तैयार करेगा और उन्हें पक्षकारों को उनके विचार व्यक्त करने के लिए देगा । पक्षकारों के विचार प्राप्त होने के पश्चात्, सुलहकर्ता ऐसे विचारों को ध्यान में समझौता करार ।

रखते हुए किसी संभावित समझौते के निबन्धन पुनः तैयार कर सकेगा ।

(2) यदि पक्षकार, विवाद के किसी समझौते पर करार करते हैं तो वे एक लिखित समझौता करार तैयार करा सकेंगे और उस पर हस्ताक्षर कर सकेंगे । यदि पक्षकारों द्वारा अनुरोध किया जाए, तो सुलहकर्ता समझौता करार तैयार कर सकेगा या तैयार करने में पक्षकारों की सहायता कर सकेगा ।

(3) जब पक्षकार समझौता करार पर हस्ताक्षर करेंगे तब वह अंतिम होगा और पक्षकारों तथा उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर आबद्धकर होगा ।

(4) सुलहकर्ता, समझौता करार को अधिप्रमाणित करेगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक पक्षकार को देगा ।

समझौता करार की प्रास्थिति और प्रभाव ।

74. समझौता करार की वही प्रास्थिति और प्रभाव होगा मानो वह विवाद के सार पर करार पाए गए निबन्धनों पर धारा 30 के अधीन किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दिया गया कोई माध्यस्थम् पंचाट है ।

गोपनीयता ।

75. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सुलहकर्ता और पक्षकार, सुलह कार्यवाहियों से संबंधित सभी बातें गोपनीय रखेंगे । उसके सिवाय कि जहां क्रियान्वयन और संप्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए उसका प्रकटीकरण आवश्यक हो, गोपनीयता का विस्तार समझौता करार तक भी होगा ।

सुलह कार्यवाहियों का समापन ।

76. सुलह कार्यवाहियों का—

(क) करार की तारीख को, पक्षकारों द्वारा समझौता करार पर हस्ताक्षर करके ; या

(ख) घोषणा की तारीख को, पक्षकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात् सुलहकर्ता की इस प्रभाव की लिखित घोषणा द्वारा कि सुलह के लिए आगे प्रयास अब न्यायसंगत नहीं है ; या

(ग) घोषणा की तारीख को, पक्षकारों द्वारा सुलहकर्ता को संबोधित इस प्रभाव की लिखित घोषणा द्वारा कि सुलह कार्यवाहियों का समापन किया जाता है ; या

(घ) घोषणा की तारीख को, एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को और सुलहकर्ता को, यदि नियुक्त किया गया है, इस प्रभाव की लिखित घोषणा द्वारा कि सुलह कार्यवाहियों का समापन किया जाता है,

समापन हो जाएगा ।

माध्यस्थम् या न्यायिक कार्यवाहियों का सहारा लेना ।

77. पक्षकार, सुलह कार्यवाहियों के दौरान, उस विवाद की बाबत, जो सुलह कार्यवाहियों की विषयवस्तु है, उसके सिवाय कि जहां किसी पक्षकार की यह राय है कि उसके अधिकारों के संरक्षण के लिए ऐसी कार्यवाहियां आवश्यक हैं वहां वह माध्यस्थम् या न्यायिक कार्यवाहियां आरम्भ कर सकता है, कोई माध्यस्थम् या न्यायिक कार्यवाहियां आरंभ नहीं करेंगे ।

खर्च ।

78. (1) सुलह कार्यवाहियों के समापन पर सुलहकर्ता, सुलह का खर्च नियत करेगा और उसकी लिखित सूचना पक्षकारों को देगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, "खर्चों" से निम्नलिखित से संबंधित युक्तियुक्त खर्च अभिप्रेत हैं—

(क) सुलहकर्ता की और पक्षकारों की सहमति से सुलहकर्ता द्वारा अनुरोध

किए गए साक्षियों की फीस और व्यय ;

(ख) पक्षकारों की सहमति से सुलहकर्ता द्वारा अनुरोध की गई कोई विशेषज्ञ सलाह ;

(ग) धारा 64 की उपधारा (2) के खंड (ख) और धारा 68 के अनुसरण में उपबंधित कोई सहायता ;

(घ) सुलह कार्यवाहियों और समझौता करार के संबंध में उपगत कोई अन्य व्यय ।

(3) जब तक कि समझौता करार में किसी भिन्न प्रभाजन का उपबंध न किया गया हो, पक्षकारों द्वारा बराबर-बराबर खर्च वहन किए जाएंगे । किसी पक्षकार द्वारा उपगत सभी अन्य व्यय, उसी पक्षकार द्वारा वहन किए जाएंगे ।

निक्षेप ।

79. (1) सुलहकर्ता, धारा 78 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट खर्चों को, जिनके उपगत होने की वह प्रत्याशा करता है, अग्रिम के रूप में समान रकम का निक्षेप करने के लिए प्रत्येक पक्षकार को निदेश दे सकेगा ।

(2) सुलह कार्यवाहियों के दौरान, सुलहकर्ता, प्रत्येक पक्षकार को समान रकम का अनुपूरक निक्षेप करने के लिए निदेश दे सकेगा ।

(3) यदि उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित निक्षेपों का पूर्ण संदाय दोनों पक्षकारों द्वारा तीस दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो सुलहकर्ता, कार्यवाहियों को निलंबित कर सकेगा या पक्षकारों को कार्यवाहियों के समापन की लिखित घोषणा कर सकेगा, जो उक्त घोषणा की तारीख को प्रभावी होगी ।

(4) सुलह कार्यवाहियों के समापन पर, सुलहकर्ता, प्राप्त निक्षेपों का लेखा पक्षकारों को देगा और व्यय न किया गया कोई अतिशेष पक्षकारों को वापस करेगा ।

अन्य कार्यवाहियों में सुलहकर्ता की भूमिका ।

80. जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न किया गया हो,—

(क) सुलहकर्ता किसी ऐसे विवाद के बारे में जो किसी सुलह कार्यवाही को विषय-वस्तु है, किसी माध्यस्थम् या न्यायिक कार्यवाही में माध्यस्थम् के रूप में या किसी पक्षकार के प्रतिनिधि या परामर्शी के रूप में कार्य नहीं करेगा ;

(ख) पक्षकारों द्वारा सुलहकर्ता को किसी माध्यस्थम् या न्यायिक कार्यवाहियों में साक्षी के रूप में पेश नहीं किया जाएगा ।

अन्य कार्यवाहियों में साक्ष्य की ग्राह्यता ।

81. पक्षकार, माध्यस्थम् या न्यायिक कार्यवाहियों में, चाहे ऐसी कार्यवाहियां उस विवाद से संबंधित हों या न हों, जो सुलह कार्यवाहियों की विषय-वस्तु हैं—

(क) विवाद के संभाव्य निपटारे की बाबत दूसरे पक्षकार द्वारा व्यक्त किए गए विचारों या दिए गए सुझावों पर ;

(ख) सुलह कार्यवाहियों के अनुक्रम में दूसरे पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृतियों पर ;

(ग) सुलहकर्ता द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर ;

(घ) इस तथ्य पर कि दूसरे पक्षकार ने सुलहकर्ता द्वारा निपटारे के लिए दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने की अपनी रजामंदी उपदर्शित की थी,

निर्भर नहीं करेंगे या उन्हें साक्ष्य के रूप में पुरःस्थापित नहीं करेंगे ।

* * * * *

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 27) से उद्धरण

* * * * *

सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् को निर्देश ।

18. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी विवाद का कोई पक्षकार धारा 17 के अधीन देय किसी रकम के संबंध में सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् को निर्देश कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश प्राप्त होने पर, परिषद् या तो स्वयं मामले में सुलह कार्य करेगी या ऐसी किसी संस्था या केन्द्र से सहायता लेगी जो ऐसी किसी संस्था या केन्द्र को ऐसा सुलह कार्य करने संबंधी निर्देश करके आनुकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं उपलब्ध कराती हो और माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 65 से धारा 81 के उपबंध ऐसे विवाद को ऐसे लागू होंगे मानो सुलह उस अधिनियम के भाग 3 के अधीन आरंभ की गई हो । 1996 का 26

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन आरंभ की गई सुलह सफल नहीं होती है और पक्षकारों के बीच कोई समझौता हुए बिना समाप्त हो गई है वहां परिषद् या तो विवाद पर स्वयं माध्यस्थम् कार्रवाई करेगी या उसे ऐसे माध्यस्थम् के लिए आनुकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं उपलब्ध कराने वाली किसी संस्था या केन्द्र को निर्दिष्ट करेगी और तब माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के उपबंध ऐसे विवाद को ऐसे लागू होंगे मानो वह उस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी माध्यस्थम् करार के अनुसरण में हो ।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् या आनुकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं उपलब्ध कराने वाली किसी संस्था या केन्द्र को उसकी अधिकारिता के भीतर अवस्थित प्रदायकर्ता और भारत में किसी भी स्थान पर अवस्थित क्रेता के मध्य किसी विवाद में इस धारा के अधीन मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने की अधिकारिता होगी ।

(5) इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक निर्देश का विनिश्चय ऐसा निर्देश किए जाने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

* * * * *

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 18) से उद्धरण

* * * * *

मध्यकता और सुलह पैनल ।

442. (1) केन्द्रीय सरकार विशेषज्ञों का एक पैनल रखेगी जिसे "मध्यकता और सुलह पैनल" कहा जाएगा जो विशेषज्ञों की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान पक्षकारों के मध्य मध्यकता के लिए ऐसी अर्हताएं रखते हैं जो विहित की जाएं ।

(2) कार्यवहियों का कोई पक्षकार केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान किसी भी समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण को ऐसे प्ररूप के साथ ऐसी फीस जो

विहित की जाएं मध्यकता और सुलह पैनल को ऐसी कार्यवाहियों से संबंधित मामले को निर्देश करने के लिए आवेदन कर सकेगा और, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट पैनल से एक या अधिक विशेषज्ञों के पैनल को नियुक्त करेगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण जिसके समक्ष कोई कार्यवाही लंबित है, स्वप्रेरणा से ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में किसी मामले को मध्यकता और सुलह पैनल से विशेषज्ञों की ऐसी संख्या को जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण उचित समझे निर्दिष्ट कर सकेगा ।

(4) मध्यकता और सुलह पैनल के विशेषज्ञों की फीस और अन्य निबंधन तथा शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं ।

(5) मध्यकता और सुलह पैनल ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो विहित की जाए और ऐसे निर्देश की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर निर्दिष्ट मामले का निपटान करेगा तथा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण को अपनी सिफारिशें भेजेगा ।

(6) कोई पक्षकार जो मध्यकता और सुलह पैनल की सिफारिशों से व्यथित है, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण को अपने आक्षेप फाइल कर सकेगा ।

* * * * *

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 4) से उद्धरण

* * * * *

अध्याय 3क

संस्थित करने से पूर्व मध्यकता और समझौता

संस्थित करने से पूर्व मध्यकता और समझौता ।

12क. (1) कोई वाद, जिसमें इस अधिनियम के अधीन किसी अत्यावश्यक अंतरिम अनुतोष की अपेक्षा नहीं है, तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा, जब तक वादी ऐसी रीति और प्रक्रिया के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा विहित की जाए, संस्थित करने से पूर्व मध्यकता का उपचार प्राप्त नहीं कर लेता है ।

(2) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा संस्थित करने से पूर्व मध्यकता के प्रयोजनों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के अधीन गठित प्राधिकारियों को प्राधिकृत कर सकेगी ।

1987 का 39

(3) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार द्वारा उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत प्राधिकारी, वादी द्वारा उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर मध्यकता की प्रक्रिया पूरी करेंगे:

परंतु मध्यकता की अवधि को पक्षकारों की सहमति से दो मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा:

परंतु यह और कि उस अवधि की संगणना, जिसके दौरान पक्षकार संस्थित करने से पूर्व मध्यकता में लगे रहते हैं, परिसीमा अधिनियम, 1963 के अधीन

1963 का 36

परिसीमा के प्रयोजनों के लिए नहीं की जाएगी ।

(4) यदि वाणिज्यिक विवाद के पक्षकारों में समझौता हो जाता है तो उसे लेखबद्ध किया जाएगा और उस पर विवाद के पक्षकारों और मध्यस्थ द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(5) इस धारा के अधीन हुए समझौते की वही प्रास्थिति और प्रभाव होगा मानो यह माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 30 की उपधारा (4) अधीन सहमत निबंधनों पर कोई माध्यस्थम् अधिनिर्णय हो । 1996 का 36

* * * * *

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 35) से उद्धरण

* * * * *

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।

* * * * *

(25) "मध्यकता" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा मध्यक उपभोक्ता विवादों में मध्यकता करता है ;

(26) "मध्यक" से धारा 75 में निर्दिष्ट मध्यक अभिप्रेत है ;

* * * * *

37. (1) किसी परिवाद को ग्रहण करने के पश्चात् पहली सुनवाई पर या किसी पश्चातवर्ती स्तर पर, यदि जिला आयोग को यह प्रतीत होता है कि समझौते के अनुकूल वातावरण है, जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकता है, तो सिवाय ऐसे मामलों में, जो विहित किए जाएं, वह पक्षकारों को पांच दिन के भीतर, अध्याय 5 के उपबंधों के अनुसार मध्यकता द्वारा अपने विवाद को परिनिर्धारित करने के लिए लिखित सहमति देने के लिए निदेश कर सकेगा । मध्यकता को निर्देश ।

(2) जहां पक्षकार मध्यकता द्वारा परिनिर्धारण के लिए सहमत हो जाते हैं और अपनी लिखित सहमति दे देते हैं तो जिला आयोग, ऐसी सहमति की प्राप्ति के पांच दिन के भीतर मामले को मध्यकता को निर्दिष्ट करेगा और ऐसी दशा में मध्यकता से संबंधित अध्याय 5 के उपबंध लागू होंगे ।

38. (1) जिला आयोग, किसी परिवाद को ग्रहण करने पर या मध्यकता द्वारा परिनिर्धारण के लिए असफल होने की दशा में मध्यकता के लिए निर्दिष्ट मामलों के संबंध में ऐसे परिवाद पर आगे कार्यवाही करेगा । परिवाद के ग्रहण होने पर प्रक्रिया ।

* * * * *

41. जिला आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, तथ्यों या विधि के आधारों पर राज्य आयोग को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा : जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील ।

परंतु राज्य आयोग, पैंतालीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात्, अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था :

परंतु यह और कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिससे जिला आयोग के आदेश

के निबंधनानुसार किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है, कोई अपील राज्य आयोग द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी ने, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उस रकम का पचास प्रतिशत जमा नहीं कर दिया हो :

परंतु यह भी कि धारा 80 के अधीन मध्यकता द्वारा समझौता के अनुसरण में जिला आयोग द्वारा धारा 81 की उपधारा (1) के अधीन पारित किसी भी आदेश से कोई अपील नहीं की जाएगी ।

* * * * *

अध्याय 5

मध्यकता

उपभोक्ता मध्यकता सैल की स्थापना ।

74. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस राज्य के प्रत्येक जिला आयोग तथा राज्य आयोग से संलग्न की जाने वाली उपभोक्ता मध्यकता सैल की स्थापना करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय आयोग से संलग्न की जाने वाली एक राष्ट्रीय उपभोक्ता मध्यकता सैल की स्थापना करेगी ।

(3) उपभोक्ता मध्यकता सैल, ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जो विहित किया जाए ।

(4) प्रत्येक उपभोक्ता मध्यकता सैल—

(क) पैनलीकृत मध्यकों की सूची रखेगा ;

(ख) सैल द्वारा निपटाए गए मामलों की सूची रखेगा ;

(ग) कार्यवाहियों का अभिलेख रखेगा ;

(घ) कोई अन्य जानकारी रखेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(5) प्रत्येक उपभोक्ता मध्यकता सैल, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जिससे यह सम्बद्ध है, को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

मध्यकों का पैनलीकरण ।

75. (1) मध्यकता के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग या जिला आयोग, उस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर इससे संबद्ध उपभोक्ता मध्यकता सैल द्वारा रखे जाने वाला मध्यकों का एक पैनल तैयार करेगा ।

(2) मध्यक के रूप में पैनलीकरण के लिए अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव, पैनलीकरण के लिए प्रक्रिया, पैनलीकृत मध्यकों को प्रशिक्षित करने की रीति, पैनलीकृत मध्यकों को संदेय फीस, पैनलीकरण के लिए निबंधन और शर्तें, पैनलीकृत मध्यकों के लिए आचार संहिता, वे आधार, जिन पर और रीति जिसमें, पैनलीकृत मध्यकों को हटाया जाएगा या पैनलीकरण को रद्द किया जाएगा और उनसे संबंधित अन्य विषय वे होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए मध्यकों का पैनल पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और पैनलीकृत मध्यकों, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, दूसरी अवधि के लिए पुन: पैनलीकरण के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र होंगे ।

76. जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, धारा 75 में निर्दिष्ट मध्यकों के पैनल से किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करते समय, अंतर्वलित उपभोक्ता विवाद को सुलझाने के लिए उसकी उपयुक्तता पर विचार करेगा । पैनल से मध्यकों का नामनिर्देशन ।

77. मध्यक का यह कर्तव्य होगा कि वह— कतिपय तथ्यों को प्रकट करने का मध्यक का कर्तव्य ।

(क) उपभोक्ता विवाद के परिणाम में किसी निजी, वृत्तिक या वित्तीय हित का प्रकटन करे ;

(ख) उन परिस्थितियों का प्रकटन करे, जिनसे उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित शंका उत्पन्न हो ; और

(ग) ऐसे अन्य तथ्य, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

78. जहां, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का, मध्यक द्वारा दी गई सूचना पर, या किसी अन्य व्यक्ति, जिसमें परिवाद का पक्षकार भी है, से प्राप्त सूचना पर और मध्यक को सुनने के पश्चात् समाधान हो जाता है, वहां ऐसे मध्यक के स्थान पर किसी अन्य मध्यक को रख सकेगा । कतिपय मामलों में मध्यक का प्रतिस्थापन।

79. (1) मध्यकता, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग से संबद्ध उपभोक्ता मध्यकता सैल में आयोजित किया जाएगा । मध्यकता के लिए प्रकिया ।

(2) जहां कोई उपभोक्ता विवाद, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा मध्यकता के लिए निर्दिष्ट किया जाता है, वहां ऐसे आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट मध्यक पक्षकारों के अधिकारों और बाध्यताओं, व्यापार की प्रथाओं, यदि कोई हों, उपभोक्ता विवाद को उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां और ऐसे अन्य सुसंगत कारकों को, जो वह आवश्यक समझे, ध्यान में रखेगा और मध्यकता करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा ।

(3) इस प्रकार नामनिर्दिष्ट मध्यक ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, मध्यकता संचालित करेगा ।

80. (1) मध्यकता के अनुसरण में, यदि उपभोक्ता विवाद में अंतर्वलित सभी मुद्दों के संबंध में या केवल कुछ मुद्दों के संबंध में पक्षकारों के बीच करार हो जाता है, तो ऐसे करार के निबंधनों को तद्नुसार लेखबद्ध किया जाएगा और ऐसे विवाद के पक्षकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा । मध्यकता के माध्यम से निपटान ।

(2) मध्यक निपटान की निपटान रिपोर्ट तैयार करेगा और संबद्ध आयोग को ऐसे रिपोर्ट के साथ हस्ताक्षरित करार अग्रेषित करेगा ।

(3) जहां विनिर्दिष्ट समय के भीतर पक्षकारों के बीच कोई करार नहीं होता है या मध्यकता की यह राय है कि निपटान संभव नहीं है, वहां वह तद्नुसार अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और संबद्ध आयोग को प्रस्तुत करेगा ।

81. (1) यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग निपटान रिपोर्ट की प्राप्ति के सात दिन के भीतर, ऐसे उपभोक्ता विवाद के ऐसे निपटान को अभिलिखित करते हुए उपयुक्त आदेश पारित करेगा तथा तद्नुसार मामले का निपटान किया जाएगा । निपटान को अभिलिखित किया जाना और आदेश का पारित किया जाना ।

(2) जहां उपभोक्ता विवाद केवल भागतः निपटाया जाता है, वहां यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग ऐसे मुद्दों के निपटान को अभिलिखित करेगा, जो इस प्रकार निपटाए गए हैं और ऐसे उपभोक्ता विवाद में अंतर्वलित अन्य मुद्दों पर सुनवाई जारी रखेगा ।

(3) जहां उपभोक्ता विवाद मध्यकता द्वारा नहीं निपटाया जा सका, वहां यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग ऐसे उपभोक्ता विवाद में अंतर्वलित सभी मुद्दों की सुनवाई जारी रखेगा ।

* * * * *

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

101. (1) * * * *

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे :—

* * * * *

(द) वे मामले, जो धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन मध्यकता द्वारा निपटान के लिए निर्दिष्ट नहीं किए जा सकेंगे ;

* * * * *

(यच) धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन उपभोक्ता मध्यकता सैल में व्यक्ति ;

* * * * *

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

102. (1) * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * *

(त) धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन उपभोक्ता मध्यकता सैल में व्यक्ति ;

* * * * *

राष्ट्रीय आयोग की विनियम बनाने की शक्ति ।

103. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे :—

* * * * *

(ग) धारा 74 की उपधारा (4) के अधीन उपभोक्ता मध्यकता सैल द्वारा किसी अन्य सूचना का रखा जाना ;

(घ) धारा 74 की उपधारा (5) के अधीन जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग को उपभोक्ता मध्यकता सैल द्वारा त्रैमासिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने की रीति ;

(ङ) धारा 75 की उपधारा (2) के अधीन मध्यक के रूप में पैनलीकरण के लिए अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव, पैनलीकरण के लिए प्रक्रिया, पैनलीकृत मध्यकों के प्रशिक्षण की रीति, पैनलीकरण मध्यकों को संदेय फीस, पैनलीकरण के निबंधन और शर्तें, पैनलीकृत मध्यकों के लिए आचार संहिता, ऐसे आधार, जिन पर और वह रीति, जिसमें पैनलीकृत मध्यकों को हटाया जाएगा और पैनलीकरण को रद्द किया जाएगा या उससे सम्बन्धित अन्य विषय ;

(च) धारा 75 की उपधारा (3) के अधीन किसी अन्य अवधि के लिए मध्यकों के पुनः पैनलीकरण के लिए शर्तें ;

(छ) धारा 77 के खंड (ग) के अधीन मध्यकों द्वारा प्रकट किए जाने वाले अन्य तथ्य ;

(ज) वह समय, जिसके भीतर और वह रीति जिसमें धारा 79 की उपधारा (3) के अधीन मध्यकता की जा सकेगी ; और

* * * * *

GIPMRND—1610RS (CRC)—15.12.2021.